छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25

आदिम जाति विकास विभाग
अनुसूचित जाति विकास विभाग
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

एवं अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव
लोक कला, संस्कृति की वैभवशाली विरासत, विकास

छत्तीसगढ़ शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2024-25

आदिम जाति विकास विभाग

अनुसूचित जाति विकास विभाग

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

भार साधक मंत्री - माननीय श्री रामविचार नेताम

मंत्रालय

प्रमुख सचिव - श्री सोनमणि बोरा

संचालनालय

आयुक्त - श्री पदुम सिंह एल्मा

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (TRI) रायपुर

संचालक - श्री पदुम सिंह एल्मा

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग - एक	
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग / मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-12
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	13-15
	भाग - दो	
6	विभागीय बजट 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 (नवम्बर 2024 की स्थिति में)	16
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	17-23
	भाग - तीन	
8	विभाग द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएँ	24-73
9	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	74-77
10	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	78-81
11	अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना	82-83
	भाग - चार	
12	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	84-90
	भाग - पांच	
14	फ्लैगशिप योजनाएं	97-108
	भाग - छः	
16	सारांश	109-110

भाग - एक

छत्तीसगढ का मानचित्र

विभाग की संरचना

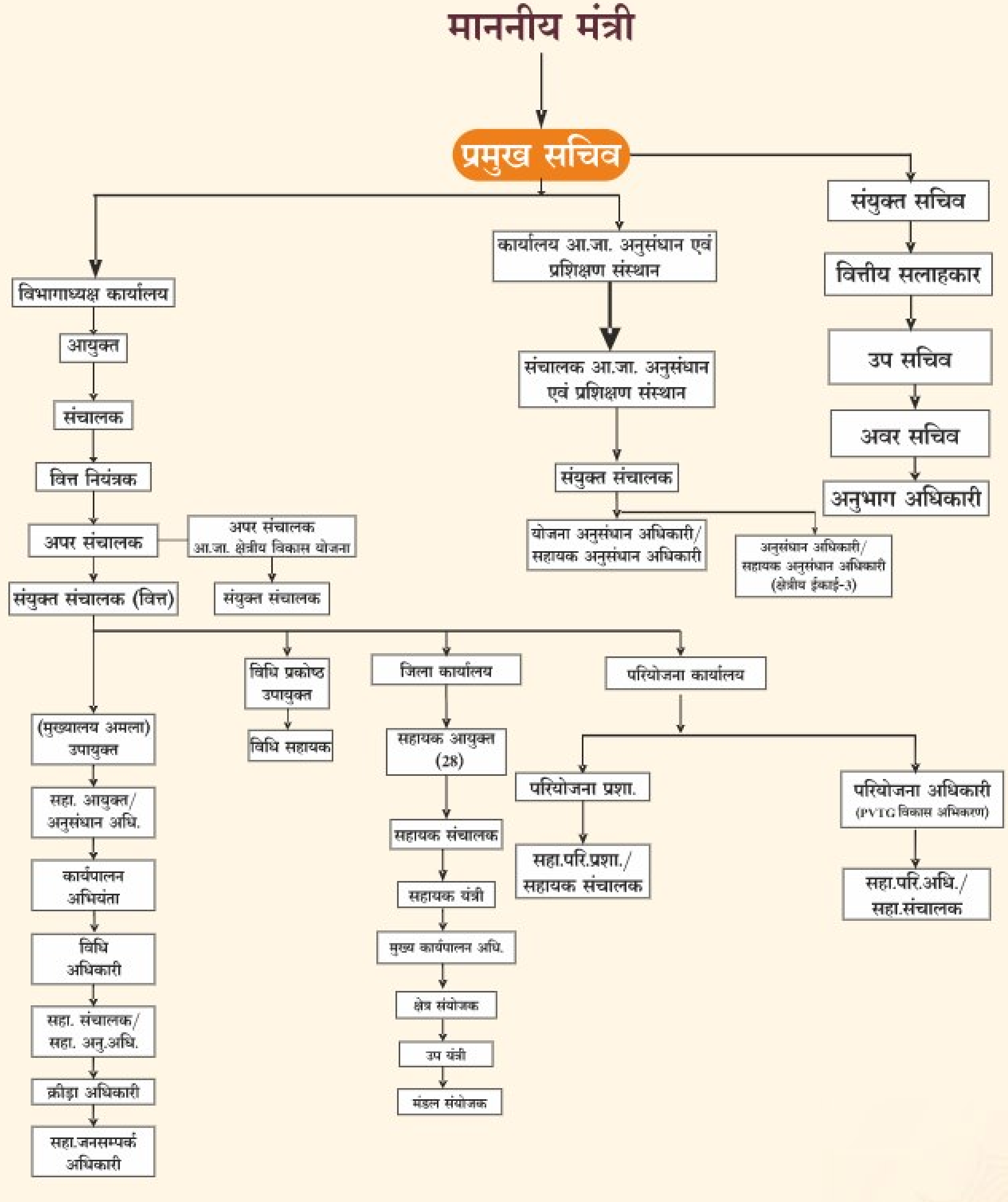
माननीय मंत्री
प्रमुख सचिव
संयुक्त सचिव
वित्तीय सलाहकार
उप सचिव
अवर सचिव
अनुभाग अधिकारी
कार्यालय आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संचालक आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संयुक्त संचालक
योजना अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी/ सहायक अनुसंधान अधिकारी (क्षेत्रीय ईकाई-3)
विभागाध्यक्ष कार्यालय
आयुक्त
संचालक
वित्त नियंत्रक
अपर संचालक
अपर संचालक आ.जा. क्षेत्रीय विकास योजना
संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक (वित्त)
(मुख्यालय अमला) उपायुक्त
सहा. आयुक्त/ अनुसंधान अधि.
कार्यपालन अभियंता
विधि अधिकारी
सहा. संचालक/ सहा. अनु.अधि.
क्रीड़ा अधिकारी
सहा.जनसम्पर्क अधिकारी
विधि प्रकोष्ठ उपायुक्त
विधि सहायक
जिला कार्यालय
सहायक आयुक्त (28)
सहायक संचालक
सहायक यंत्री
मुख्य कार्यपालन अधि.
क्षेत्र संयोजक
उप यंत्री
मंडल संयोजक
परियोजना कार्यालय
परियोजना प्रशा.
सहा.परि.प्रशा./ सहायक संचालक
परियोजना अधिकारी (PVTG विकास अभिकरण)
सहा.परि.अधि./ सहा.संचालक

विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद–46, में सौंपे गए कर्तव्य "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए" संविधान के अनुच्छेद–244 एवं संविधान के अनुच्छेद–275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद–164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022 की अधिसूचना क्रमांक एफ 1–1/2022/एक(1) अनुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के नाम में संशोधन कर आदिम जाति विकास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास–यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। इन वर्गों के लिए मानव अधिकार सूचकांक में अपेक्षाकृत सुधार परिलक्षित हुआ है। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन–प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा अभी और लंबी है एवं प्रगति के अनगिनत सोपान तय किए जाने हैं।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए भी है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प है।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर सचिव का पद सृजित है। मंत्रालय स्तर पर सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

विभाग, मंत्रालय का है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों / योजनाओं की समीक्षा नोडल विभाग के रूप में की जाती है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त होते हैं। आयुक्त मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों में विभागीय कार्यक्रमों / योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल एवं विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकासखण्ड आदिवासी विकासखण्ड घोषित हैं। इन विकासखण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 विशेष रूप से कमजोर जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

OOOOO

विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति / जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों / योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण–पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम 2015 एवं संशोधन अधिनियम 2018, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन का अध्ययन तथा नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैज्ञानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठन का प्रावधान है, जिसके उपाध्यक्ष विभागीय मंत्री जी होते है। साथ ही इस परिषद का सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास होता है। इसमें तीन चौथाई सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए। छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र./एफ-20-2/2019/25-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक-23 जुलाई 2019 के द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् नियम 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया है। जनजाति सलाहकार परिषद में एक अध्यक्ष एवं अधिकतम 20 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में जनजाति सलाहकार परिषद के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-16-42/2022 /25-2 दिनाँक 20 जनवरी 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद नियम 2022के उपनियम-3 के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद

छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-16-43/2022 /25-2 दिनॉक 20 जनवरी 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद नियम 2022के उपनियम-3 के प्रावधान अनुसार राज्य में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार परिषद के पुर्नगठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2018 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 05.03.2019 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 55 सदस्यीय राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 25.08.2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2024 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 69 बैठकें आयोजित की गई है।

5. छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

उद्देश्य :- आयोग द्वारा छ.ग. राज्य में निवासरत् अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं उनके हित संवर्धन में विधि अनुकूल संरक्षण तथा विकास के कार्यों में निगरानी एवं सुधारात्मक कार्य हेतु हितप्रहरी के रूप में पहल की जा रही है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम–1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष तथा 04 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग हेतु राशि रू. 242.70 लाख का प्रावधान है।

6. छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

उद्देश्य :- अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति वर्ग के लागों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास की प्रतिबद्धता छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम प्राथमिकता है। वर्तमान में आयोग में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष तथा 04 सदस्य के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति आयोग हेतु राशि रू. 234.20 लाख का प्रावधान है।

7. छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

उद्देश्य :- अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार वर्तमान में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष तथा 05 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु राशि रू. 196.85 लाख का प्रावधान है।

8. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

उद्देश्य :- राज्य में अल्पसंख्यकों की संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग नियम 1996 की धारा–3 (2) के तहत वर्तमान में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष तथा 04 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य अल्पसंख्यक आयोग हेतु राशि रू. 312.02 लाख का प्रावधान है।

9. छ.ग. राज्य हज कमेटी :-

उद्देश्य :- हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज कमेटी गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय, भारत

सरकार से समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। कमेटी अंतर्गत वर्तमान में 01 अध्यक्ष एवं 15 सदस्यें के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य हज कमेटी हेतु राशि रू. 130.85 लाख का प्रावधान है।

10. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

उद्देश्य :- वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम–1995 के तहत निर्देशों का पालन मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड हेतु राशि रू. 166.70 लाख का प्रावधान किया गया है।

11. छ.ग. राज्य उर्दू अकादमी :-

उद्देश्य :- राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया है। अकादमी का कार्य छ.ग. राज्य में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को आर्थिक मदद करना आदि है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर श्री इदरीश गांधी एवं उपाध्यक्ष के पद पर डॉ. नजीर कुरैशी तथा 13 सदस्य पदस्थ हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग.राज्य उर्दू अकादमी हेतु राशि रू. 220.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

12. वक्फ न्यायाधीकरण :-

उद्देश्य :- वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है। पीठासीन अधिकारी के पद पर श्रीमती किरण चतुर्वेदी, पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश) पदस्थ हैं तथा सदस्य के रूप में श्री शकील अहमद, अधिवक्ता का मनोनयन किया गया है।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में वक्फ न्यायाधीकरण हेतु राशि रू. 116.20 लाख का प्रावधान किया गया है।

13. सर्वेक्षण आयुक्त :-

उद्देश्य :- वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ सर्वेक्षण गठित है। वर्तमान में सर्वेक्षण आयुक्त के पद पर श्री पदुम सिंह एल्मा पदस्थ हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में सर्वेक्षण आयुक्त हेतु राशि रू. 10.80 लाख का प्रावधान किया गया है।

14. छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड :-

उद्देश्य :- छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19–04/2021/25–1 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा किया गया है। छ.ग. राज्य तेलघानी योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, तेलघानी को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंको से ऋणग्रस्त तेलघानी को राज्य शासन की योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना तथा छ.ग. में तेलघानी को बढ़ावा देना तथा तेलघानी से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की रूचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में छ.ग. राज्य तेलघानी विकास बोर्ड में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष एवं 03 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. तेलघानी विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 60.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

15. छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड :-

उद्देश्य :- छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा. तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19–02/2021/25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। राज्य में लौह शिल्पकार को योजनाओं के माध्यम से स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना, लौह शिल्पकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋणग्रस्त लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अंतर्गत आवश्यक मदद करना, छ.ग. में लौह शिल्पकार को बढ़ावा देना, लौह शिल्पकार से संबंधित गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों की रूचि को प्रोत्साहन देने के लिए छ.ग. लौह शिल्पकार को राज्य शासन के योजना अन्तर्गत आवश्यक मदद करना है। वर्तमान में लौह शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वर्तमान में छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष एवं 03 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. लौह शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 60.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

16. छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड :-

उद्देश्य :- छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ 19–01/2021/25–1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के माध्यम से चर्म शिल्पकार को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में छ.ग. राज्य चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष एवं 03 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024–25 में छ.ग. चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

17. छ.ग. रजककार विकास बोर्ड :-

उद्देश्य :- छ.ग. रजककार विकास बोर्ड का गठन छ.ग. शासन आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक / एफ 19—03 / 2021 / 25—1 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा किया गया है। बोर्ड के द्वारा रजककार योजना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन्नत प्रशिक्षण एवं उन्नत उपकरण प्रदान करना तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करना, स्वरोजगार स्थापित करने लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य हैं। वर्तमान में छ.ग. राज्य रजककार विकास बोर्ड में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष एवं 03 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- वित्तीय वर्ष 2024—25 में छ.ग. रजककार विकास बोर्ड हेतु राशि रू. 60.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

18. छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग :-

उद्देश्य :- छ.ग.शासन की अधिसूचना दिनांक 16.07.2024 के द्वारा छ.ग. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में 01 अध्यक्ष एवं 06 सदस्यों की नियुक्ति शासन के आदेश क्रमांक एफ—19—19 / 2024 / 54 नवा रायपुर दिनांक 08.08.2024 के द्वारा की गई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग में 01 अध्यक्ष एवं 06 सदस्यों के पद स्वीकृत हैं।

बजट प्रावधान :- योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में राशि रू. 200.00 लाख का प्रावधान है।

19. छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति

भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से वर्तमान में प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। जिनके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति गठित है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य स्तर पर गठित समिति में मान. मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अध्यक्ष होते है तथा अन्य विभाग के सचिव सदस्य होते हैं। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, समिति के पदेन सचिव होते है। संचालक मंडल की बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जाती है।

OOOOO

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ.ग. राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य के आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी/अनुसूचित जाति अंचलों के विकास हेतु वर्ष 2004 में प्राधिकरणों का गठन किया गया था। छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.06.2024 द्वारा प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

अ. बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

स. मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

द. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाना है। क्षेत्र में निवासरत अनुसूचित जाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

गठन एवं विस्तार :-

बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र बस्तर संभाग के राजस्व जिले क्रमश :– बस्तर, कोंडागांव, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर एवं सुकमा है। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 7300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सरगुजा संभाग के सम्पूर्ण राजस्व जिले क्रमश :– सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर– रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 5000.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्व जिला कोरबा के अतिरिक्त जिला क्रमश :– गरियाबंद, धमतरी, महासमुन्द, बलोदाबाजार–भाटापारा, सारंगढ़–बिलाईगढ़, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, कबीरधाम, मुंगेली, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सक्ती के आंशिक क्षेत्र जो आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (यथा–एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र, माडा पॉकेट, लघु अंचल) में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र के भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा–टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय के वार्ड में स्थित पारा–मोहल्ला, जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो, सम्मिलित होंगे।

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 4900.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। जिन ग्रामों, पारा, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक है, यहां कार्य लिये जाते है। इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य जिले जांजगीर–चांपा, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, महासमुन्द, राजनांदगांव, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई, धमतरी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में जहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो सम्मिलित होंगे।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल राशि रू. 5000.00 लाख प्रावधान किया गया है।

विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण

छ.ग. राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह क्रमशः बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर निवासरत है। इनके लिये समग्र विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु 06 विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ का निम्नानुसार गठन किया गया है :–

क्र.	जिला	विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ का नाम
1	2	3
1	कबीरधाम	बैगा विकास अभिकरण – कबीरधाम
2	मुंगेली	बैगा विकास प्रकोष्ठ – मुंगेली
3	राजनांदगांव	बैगा विकास प्रकोष्ठ – राजनांदगांव
4	कोरिया	बैगा विकास प्रकोष्ठ – बैकुंठपुर
5	बिलासपुर	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – बिलासपुर
6	सरगुजा	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण – अम्बिकापुर
7	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ – बलरामपुर
8	जशपुर	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण – जशपुर
9	कोरबा	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – कोरबा
10	रायगढ़	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ – धरमजयगढ़
11	गरियाबंद	कमार विकास अभिकरण – गरियाबंद
12	धमतरी	कमार विकास प्रकोष्ठ – नगरी
13	कांकेर	कमार विकास प्रकोष्ठ – भानुप्रतापपुर
14	महासमुंद	कमार विकास प्रकोष्ठ – महासमुंद
15	नारायणपुर	अबूझमाड़ विकास अभिकरण – नारायणपुर
16	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	बैगा विकास अभिकरण – गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही

छत्तीसगढ़, आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि. के आदेश क्र./एफ–20–05/2013/25–2 दिनांक 14.09.2022 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर जिला–बिलासपुर के क्षेत्राधिकार का परीसीमन करते हुए नवीन विशेष रूप से कमजोर जनजाति बैगा विकास अभिकरण गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, बिलासपुर का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में कुल 06 अभिकरण एवं 10 प्रकोष्ठ गठित है।

पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरण :-

राज्य शासन द्वारा घोषित 02 विशेष रूप से कमजोर जनजाति पण्डो एवं भुंजिया के समग्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूरजपुर में पण्डो विकास अभिकरण तथा गरियाबंद में भुंजिया विकास अभिकरण का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इनके लिये राज्य आयोजना मद से कुल 23 स्वीकृत गतिविधियों हेतु राशि रू. 150.00 लाख का आबंटन जारी किया गया है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	**राज्य का क्षेत्रफल**	135192 वर्ग कि.मी.
1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्ग कि.मी.
1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	91253 वर्ग कि.मी.
1.3	राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का प्रतिशत	67.50 प्रतिशत
2.	**जनगणना (2011)**	
2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.	**(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)**	
3.1	औसत	70.28%
3.2	पुरुष	80.27%
3.3	महिला	60.24%
	(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
3.1	औसत	59.09
3.2	पुरुष	69.67
3.3	महिला	48.76
	(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)	
3.1	औसत	70.76
3.2	पुरुष	81.66
3.3	महिला	59.86
4.	**राजस्व जिला**	28
4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	16
4.2	आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले	05
4.3	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में सम्मिलित जिले	28

5.	**आदिवासी विकासखंड**	85
6.	**एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना**	19
7.	**माडा पाकेट**	09
8.	**लघु अंचल**	02
9.	**विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास अभिकरण (पण्डो एवं भुंजिया विकास अभिकरणों सहित)**	08
10.	**विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास प्रकोष्ठ**	10

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला (वर्तमान में जिला कोरिया, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर जिला)
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के (वर्तमान में गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही जिला) मरवाही, गौरेला–1 एवं गौरेला–2 आदिवासी विकासखण्ड एवं बिलासपुर जिले का सामुदायिक विकासखंड कोटा का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव (वर्तमान में जिला अम्बागढ़ चौकी–मानपुर–मोहला)
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1. जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6. कोन्टा		
7	बीजापुर	7. बीजापुर		
8	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9	बलौदाबाजार		1. बलौदाबाजार	1. धुर्रीबांधा
10	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11	महासमुंद		3. महासमुंद–1	
			4. महासमुंद–2	
12	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13	मोहला–मानपुर–अ. चौकी	11. मोहला–मानपुर–अ. चौकी		
14	कबीरधाम		5. कबीरधाम	
15	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14. रामानुजगंज–पाल		
18	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16. कोरबा		
20	बिलासपुर	17. गौरेला		
21	गोरेला–पेण्ड्रा–मरवाही			
22	मुंगेली			
23	सक्ती		6. रूगजा	
24	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	7. गोपालपुर	
25	जशपुर	19. जशपुरनगर		
26	खैरागढ़–छुईखदान–गंड़ई		8. नचनिया	2. बछेराभाटा
27	सारंगढ़–बिलाईगढ़		9. सारंगढ़	

ooooo

प्री. मैट्रिक कन्या छात्रावास जाड़ेकुर्से, जिला - कांकेर

भाग - दो

भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर विभागीय छात्रावास आश्रमों में आयोजित हुई विभिन्न गतिविधियाँ

विभागीय बजट

विभागीय बजट (2022-23) मार्च 2023 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	185297.13	145446.68	78.49
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	41722.35	24828.62	59.51
3	अन्य पिछडा वर्ग	33374.92	3401.32	10.19
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	14098.16	11063.34	78.47
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	254.10	179.06	70.47
	योग -	274746.66	184919.02	67.31

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2023-24) मार्च 2024 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	184570.22	140851.96	76.31
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	44098.37	25044.73	56.79
3	अन्य पिछडा वर्ग	54410.02	29963.10	55.07
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	16782.10	12271.61	73.12
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	274.80	142.75	51.95
	योग -	300135.51	208274.15	69.39

विभागीय बजट (वित्तीय वर्ष 2024-25) नवम्बर 2024 की स्थिति में

(राशि लाख में)

क्र.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	आदिवासी उपयोजना	205484.49	68419.98	33.30
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	51505.22	14546.56	28.24
3	अन्य पिछडा वर्ग	23690.98	16892.48	71.30
4	अन्यान्य बजट अनुसूचित जनजाति	17293.84	8439.49	48.80
5	अन्यान्य बजट अनुसूचित जाति	285.90	48.00	16.79
	योग -	298260.43	108346.51	36.33

विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएँ

(अ) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23 बजट प्रावधान	वर्ष 2022-23 व्यय	वर्ष 2022-23 भौतिक इकाई	वर्ष 2022-23 भौतिक उपलब्धि	वर्ष 2023-24 बजट प्रावधान	वर्ष 2023-24 व्यय	वर्ष 2023-24 भौतिक इकाई	वर्ष 2023-24 भौतिक उपलब्धि	वर्ष 2024-25 बजट प्रावधान	वर्ष 2024-25 व्यय	वर्ष 2024-25 भौतिक इकाई	वर्ष 2024-25 भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	8400.00	4409.24	छात्र/ छात्राएं	-	12626.00	6899.17	80418	76623	12626.00	10253.29	80328	78791
2	छात्रावास योजना	7700.00	3662.62	छात्र/ छात्राएं	-	10488.00	7164.71	68630	68440	10488.00	8750.33	69241	69131
3	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	1800.00	1235.94	नियमित 09 संस्था	नियमित 09 संस्था	1816.29	1234.63	1358	9	1890.00	1555.67	8	8
4	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	1000.00	217.95	छात्र/ छात्राएं	690	1000.00	870.60	छात्र/ छात्राएं	713	1100.00	324.20	छात्र/ छात्राएं	743
5	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	12001.00	5975.98	356	26	13100.00	12543.78	544	87	12150.00	3389.59	461	-
6	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	5.00	4.70	व्यक्ति/ संस्था	2	5.00	-	-	-	5.00	5.00	व्यक्ति/ संस्था	2
7	छात्र भोजन सहाय योजना	1300.00	650.80	छात्र/ छात्राएं	-	2238.00	1131.39	19335	19317	2508.00	1237.86	19335	19241
8	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	143.00	0.00	छात्र/ छात्राएं	-	143.00	85.80	-	-	157.30	125.80	छात्र/ छात्राएं	-
9	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	2400.00	960.00	छात्र/ छात्राएं	-	2400.00	1800.00	168383	164380	2400.00	960.00	182283	178860
10	युवा कॅरियर निर्माण योजना	466.00	387.12	विद्यार्थी	450	467.00	336.68	450	450	824.00	232.70	विद्यार्थी	600
11	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	2763.00	1599.47	विद्यार्थी	4142	4336.50	1745.72	4945	4663	3722.00	1591.77	5995	5270
12	आर्यभट्ट वाणिज्य/ विज्ञान विकास केन्द्र	222.00	49.00	विद्यार्थी	624	2635.00	199.60	छात्राएं	616	300.00	178.00	विद्यार्थी	707

(ब) राज्य योजनाएं (अनुसूचित जाति)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आश्रम शाला योजना	395.00	206.53	छात्र/छात्राएं	-	600.00	147.29	3790	3039	600.00	483.23	3750	3096
2	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	173.00	120.00	नियमि/01 संस्था	-	163.00	120.00	165	1	173.00	123.63	1	1
3	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	55.00	0.00	छात्र/छात्राएं	-	55.00	33.00	-	-	-	-	-	-
4	छात्रावास योजना	1742.00	912.52	छात्र/छात्राएं	-	21613.00	1321.38	16507	15256	2613.00	2104.63	16557	14961
5	छात्र भोजन सहाय योजना	388.00	191.52	छात्र/छात्राएं	-	650.00	331.03	5460	4933	721.60	327.10	5610	5328
6	पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	420.00	95.36	छात्र/छात्राएं	341.00	420.00	411.73	छात्र/छात्राएं	359	470.00	232.15	विद्यार्थी	375
7	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	450.00	180.00	छात्र/छात्राएं	-	300.00	225.00	258	23228	300.00	120.00	25757	23563
8	युवा कॅरियर निर्माण योजना	52.60	42.30	छात्र/छात्राएं	100.00	52.60	25.15	100	100	52.60	14.20	छात्र/छात्राएं	100.00

अन्य पिछड़ा वर्ग

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23				वर्ष 2023-24				वर्ष 2024-25			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	युवा कॅरियर निर्माण योजना	66.80	39.62	विद्यार्थी	100.00	66.80	33.80	100	100.00	66.80	14.20	विद्यार्थी	100.00

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	15000.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएं	330006	48224.00	0.00	12000.00	छात्र/छात्राएं	269964	15000.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएं	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय राशि	भौतिक इकाई	बजट प्रावधान
1	नागरिक अधिकार संरक्षण प्रकोष्ठ अंतर्गत प्रचार–प्रसार	20.00		3.08	स्थापना	–	24.87		–	–	–	10.00		–	–	–
2	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम राहत सहायता/पुनर्वास एवं अनुरक्षण अनुदान	1765.31	1010.970	1812.6	हितग्राही	2225	1580.00	1337.38	1673.38	हितग्राही	1347	1630.00	1687.49	780.8	हितग्राही	713
3	अंतजार्तीय विवाह प्रोत्साहन योजना	1016.00		1368.5	दंपत्ति	551	2400.00		2060.00	दंपत्ति	824	2400.00		862.50	दंपत्ति	345
4	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन			25.75	शिविर	25			37.53	शिविर	26			15.50	शिविर	8
5	अल्पसंख्यक बहुद्देशीय विकास योजना	1389.00	–	818.73	निर्माण कार्य	–	1389.00		–	–	–	1389.00	–	55.10	निर्माण कार्य	–
6	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	4000.00	–	–	–	–	4000.00	–	–	–	–	4100.00	–	–	–	–
7	अनुसूचित जनजाति पो.मै. छात्रवृत्ति	15708.00	6784.81	9046.41	छात्र/छात्राएं	124787	7200.00	7125.00	7125.00	छात्र/छात्राएं	118871	11000.00	7000.00	2243.41	छात्र/छात्राएं	स्वी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
8	अनुसूचित जाति पो.मै. छात्रवृत्ति	6000.00	40.00	2440.00	छात्र/छात्राएं	93792	6000.00	0.00	2400.00	छात्र/छात्राएं	86032	8000.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएं	स्वी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

आदिवासी उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2022–23	1852.97	1454.47
2	2023–24	1845.70	1408.52
3	2023–24 (माह नवम्बर 2024 की स्थिति में)	2054.84	684.20
	योग :-	5753.51	3547.19

अनुसूचित जाति उपयोजना - विभागीय बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

(राशि करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय
1	2022–23	417.22	248.29
2	2023–24	440.98	250.45
3	2023–24 (माह नवम्बर 2024 की स्थिति में)	515.05	145.47
	योग :-	1373.25	644.21

(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	28380.00	7469.25	0.00	0.00	0.00	28400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

विशेष केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	स्वरोजगार योजना	2000.00	-	-	-	-	2000.00	-	-	-	-	2000.00	-	-	-	-
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि	5700.00	-	-	-	-	5700.00	-	-	-	-	5700.00	-	-	-	-

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	250.00	0.00	145.75	04 इकाई	04 इकाई	800.00	0.00	796.50	-	473.00	800.00	-	-	-	331
2	आदियारी विशेष पिछड़े समूह	12925.00	1500.00	0.00	03 कार्य	447 इकाई	12925.00	0.00	0.00	-	-	6925.00	0.00	0.00	-	-
3	अल्पसंख्यक प्री.मै.छात्रवृत्ति	11.00	-	-	छात्र / छात्राए	1002	11.00	-	-	छात्र / छात्राए	भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया गया है	-	-	0.00	छात्र / छात्राए	भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया गया है
4	अल्पसंख्यक पो.मै.छात्रवृत्ति	10.00	-	-	छात्र / छात्राए	2801	10.00	-	-	छात्र / छात्राए	भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया गया है	-	-	-	छात्र / छात्राए	भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया गया है
5	अल्पसंख्यक मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति	8.00	-	-	छात्र / छात्राए	511	8.00	-	-	छात्र / छात्राए	भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया गया है	-	-	-	छात्र / छात्राए	भारत सरकार द्वारा पोर्टल प्रारंभ नहीं किया गया है

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2022-23					वर्ष 2023-24					वर्ष 2024-25				
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
2	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1) 5480	20200.00	13578.43	13562.43	617.00	396.00	22100.00	15676.77	2397.53	951	76	22100.00		-	-	

आदर्श संस्था 245 सीटर कन्या शिक्षा परिसर परचनपाल, जिला - बस्तर का जीर्णोद्धार

विकासखण्ड स्तरीय 500 सीटर छात्रावास, जिला-बस्तर (छ.ग.)

भाग - तीन

शासकीय प्रयास आवासीय विद्यालय
स्याहीमुड़ी, जिला-कोरबा (छ.ग.)

विभाग के द्वारा संचालित अन्य प्रमुख योजनाएँ

योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.
➢ छात्रावास आश्रम योजना	25–26
➢ ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण	28
➢ छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना	28
➢ स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना	29
➢ छात्र भोजन सहाय योजना (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना	29
➢ खाद्यान्न सुरक्षा योजना	30
➢ गुरूकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास	30–32
➢ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना	33–39
➢ विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय	40–42
➢ पं. जवाहर लाल नेहरू उत्कर्ष योजना	42–43
➢ क्रीड़ा परिसर योजना	44–47
➢ ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	48–50
➢ अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	51–54

रोजगार मूलक योजनाएँ

➢ बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना	55
➢ हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना	55
➢ निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	56
➢ रविदास चर्मशिल्प योजना	56

योजना का नाम	पृष्ठ क्रं.

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधी योजनाएँ

➢ आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना	57
➢ देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत योजना	57
➢ अनु. जाति और अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम–2015 यथा संशोधित अधिनियम–2018 अंतर्गत राहत योजना	58–71
➢ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	72
➢ मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण	72
➢ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	72
➢ सम्मान एवं पुरस्कार तथा लोककला महोत्सव	73

फ्लैगशिप योजनाएँ

➢ राजीव युवा उत्थान योजना एवं ट्रॉयबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली	97–98
➢ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना	99
➢ मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	100–105
➢ आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना	106

अन्य योजनाएं

➢ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	107
➢ आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन	108

जाति कल्याण विभाग
बालक क्रीड़ा परिसर छात्रावास

छात्रावास आश्रम योजना

1. विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की सांख्यिकीय जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2024-25 की स्थिति में

छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पो. मैट्रिक	आश्रम	योग	
1	अनुसूचित जनजाति	1326	318	1173	2817	168904
2	अनुसूचित जाति	342	92	51	485	25917
3	अन्य पिछड़े वर्ग	8	47	0	55	3550
	योग	1676	457	1224	3357	198371

अनुसूचित जनजाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2024-25

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	896	430	1326	44377	24864	69241
2	पोस्ट मैट्रिक	159	159	318	9355	9980	19335
	योग	1055	589	1644	53732	34844	88576

अनुसूचित जाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2024-25

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	198	144	342	9101	7456	16557
2	पोस्ट मैट्रिक	48	44	92	3050	2560	5610
	योग	246	188	434	12151	10016	22167

अनुसूचित जनजाति आश्रम

शैक्षणिक सत्र 2024-25

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	98	106	204	8205	9695	17900
2	प्राथमिक आश्रम	616	353	969	39496	22932	62428
	योग	**714**	**459**	**1173**	**47701**	**32627**	**80328**

अनुसूचित जाति आश्रम

शैक्षणिक सत्र 2024-25

अनु. क्र.	आश्रम का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	माध्यमिक आश्रम	3	2	5	200	800	1000
2	प्राथमिक आश्रम	23	23	46	1300	1450	2750
	योग	**26**	**25**	**51**	**1500**	**2250**	**3750**

अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2024-25

अनु. क्र.	छात्रावास का नाम	कुल संचालित आश्रमों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
		बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
1	प्री. मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
2	पोस्ट मैट्रिक	24	23	47	1600	1550	3150
	योग	**27**	**28**	**55**	**1750**	**1800**	**3550**

शा. प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, कोटा जिला-बिलासपुर

2. ऑनलाईन शिष्यवृत्ति वितरण :-

प्री. मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। विभाग द्वारा संचालित प्री मैट्रिक छात्रावासों एवं आश्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रतिमाह शिष्यवृत्ति राशि रूपये 1500/– प्रदान की जाती है। वर्तमान में शिष्यवृत्ति का वितरण ऑनलाईन द्वारा किया जाता है। शिष्यवृत्ति की राशि राज्य स्तर से जिले के अधीक्षकों एवं छात्रावास नायक के संयुक्त खाते में हस्तांतरित की जाती है। विद्यार्थियों की मासिक उपस्थिति तथा मेस डाइट चार्ट के आधार पर विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति भुगतान किया जाता है। इस प्रक्रिया से समय की बचत तथा पारदर्शिता आई है। शिष्यवृत्ति मद में वर्ष 2024–25 हेतु प्रावधानित राशि रूपये 27804.30 लाख है।

क्र.	योजना का नाम	प्राप्त आबंटन
1	2	3
1	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	10488.00
2	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	2613.00
3	अनुसूचित जनजाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	12626.00
4	अनुसूचित जाति शिष्यवृत्ति योजना (आश्रम)	600.00
5	अन्य पिछड़ा वर्ग शिष्यवृत्ति योजना (छात्रावास)	80.60
6	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.ज.जा. (307)	1202.00
7	अशासकीय संस्था को शिष्यवृत्ति योजना (छा/आ) अ.जा. (307)	167.20
8	विशेष पिछड़ी जनजाति आश्रम शिष्यवृत्ति (7015)	27.50
	योग	**27804.30**

3. छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है। इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे–गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2024–25 में इस हेतु 217.80 लाख प्रावधानित है।

4. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए वर्ष 2024–25 में इस योजना अंतर्गत प्रावधानित राशि रूपये 221.55 लाख है।

5. छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है। छात्रावासी विद्यार्थियों की बढ़ती उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015–16 से प्रारंभ की गई है।
- वर्ष 2023–24 में राशि रूपये 700/– में वृद्धि करते हुये राशि रूपये 1200/– प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी की गई है।
- योजना के तहत् वर्ष 2024–25 के लिए बजट प्रावधान की जानकारी निम्नानुसार है :– **(राशि लाख में)**

वर्ग	प्रावधान
अनुसूचित जाति	721.60
अनुसूचित जनजाति	2508.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	250.00
योग -	**3479.60**

6. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास–आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ–साथ विशिष्ठ संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना अन्तर्गत वर्तमान में राशि रूपये 6.25/– के दर से प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किलो के मान से छात्रावास अधीक्षक द्वारा चावल का उठाव किया जाता है। स्टेट पुल के चावल का उठाव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा निर्धारित दर लगभग राशि रूपये 28/– से 30/– का भुगतान विभाग द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना अतंर्गत वर्ष 2024–25 के लिए प्रावधान निम्नानुसार है :–

(राशि लाख में)

क्र.	वर्ग	प्रावधान
1	अनुसूचित जाति	300.00
2	अनुसूचित जनजाति	2400.00
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	30.00
	योग -	**2730.00**

7. शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण :-

बस्तर संभाग अतंर्गत विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ ही छत्तीसगढ़ की भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचनाओं के अध्ययन तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में ज्ञानार्जनात्मक अभिरूचियों के विकास हेतु बस्तर संभाग अंतर्गत प्रत्येक जिले से विभागीय छात्रावास/आश्रमों में निवासरत कक्षा 9वीं से 12वीं के अधिकतम 50 छात्र–छात्राओं का चयन किया जा कर शैक्षणिक अध्ययन भ्रमण कराया जाता है। वर्ष 2024–25 में उक्त योजना हेतु 30.00 लाख प्रावधानित है। वर्ष 2024–25 में शासन द्वारा उक्त योजना अन्तर्गत बस्तर संभाग के साथ सरगुजा संभाग को भी सम्मिलित किया गया है।

8. गुरूकुल, आदर्श विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर अंतर्गत संचालित विशेष छात्रावास

अविभाजित म.प्र. में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास करते हुए उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि जैसे अन्य प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में प्रवेश हेतु सक्षम बनाकर उच्च सेवाओं में नियोजन के लिए तैयार कर एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना है। इस उद्देश्य से निर्मित इस योजनांतर्गत गुरूकुल विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय तथा कन्या शिक्षा परिसर योजना प्रारंभ की गई थी। योजनांतर्गत विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर उत्थान एवं विशेषज्ञ शिक्षकों से अध्यापन कराया जाना है, साथ ही शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया जाना। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, संतुलित आहार आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इन विद्यालयों में कक्षा 12वीं तक अध्यापन कराया जाता है, साथ ही विशेष कोचिंग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करायी जाती है।

वर्ष 2014–15 तक गुरूकुल उ.मा. विद्यालय, आदर्श उ.मा. विद्यालय एवं कन्या शिक्षा परिसर का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा था। छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,

मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्र./एफ 1/2/2015/1/एक दिनांक 10.03.2015 द्वारा समस्त अमले सहित विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं का स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित किया गया है।

उक्त सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश उपरांत उक्त विशिष्ट संस्थाओं में से विद्यालय का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा तथा आवासीय भाग (छात्रावास) का संचालन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

गुरूकुल विद्यालय हेतु छात्रावास :- वर्तमान में विभाग द्वारा सामान्य छात्रावास गुरूकुल आदर्श विद्यालय पेण्ड्रारोड़ बिलासपुर संचालित है जिसमें 245 सीट स्वीकृत है।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु छात्रावास :-

विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 06 आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिसमें कक्षा 6वीं से 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालकों को प्रवेश दिया गया है, उक्त विद्यालयों में कुल 1795 सीटर स्वीकृत है जिसमें शिक्षण सत्र 2024–25 में कुल 1448 बालक अध्ययनरत् है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु स्वीकृत छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	आदर्श उच्चतर माध्यमिक का नाम	स्वीकृत वर्ष	कुल स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	जशपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, जशपुर	2010–11	315	315
2	कोंडागांव	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, फरसगांव	2010–11	245	245
3	बालोद	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, डौंडी	2010–11	245	211
4	दंतेवाड़ा	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, दन्तेवाड़ा	2010–11	245	192
5	कोरिया	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, बैकुण्ठपुर	2010–11	245	173
6	नारायणपुर	आदर्श, उ.मा. विद्यालय, नारायणपुर	2013–14	500	312
	योग			**1795**	**1448**

कन्या शिक्षा परिसर हेतु छात्रावास :- विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 14 कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 12 तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। उक्त विद्यालयों में कुल 4450 सीट्स स्वीकृत हैं। कन्या शिक्षा परिसरों हेतु छात्रावास का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिले का नाम	कन्या शिक्षा परिसर का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
1	सरगुजा	कन्या शिक्षा परिसर, अंबिकापुर	2010–11	245	241
2	बलरामपुर	कन्या शिक्षा परिसर, राजपुर	2010–11	245	231
3	राजनांदगांव	कन्या शिक्षा परिसर, चौकी	2010–11	245	245
4	धमतरी	कन्या शिक्षा परिसर, दुगली	2010–11	345	345
5	दंतेवाड़ा	कन्या शिक्षा परिसर, पातररास	2011–12	450	298
6		नवीन कन्या शिक्षा परिसर, जावंगा	2014–15	500	236
7	सुकमा	कन्या शिक्षा परिसर, सुकमा	2011–12	450	426
8	बस्तर	कन्या शिक्षा परिसर, परचनपाल	2010–11	245	245
9		कन्या शिक्षा परिसर, भनपुरी	2013–14	245	180
10	सूरजपुर	कन्या शिक्षा परिसर, सूरजपुर	2013–14	245	231
11	कबीरधाम	कन्या शिक्षा परिसर, भोरमदेव	2013–14	245	242
12	बीजापुर	कन्या शिक्षा पिरसर, बीजापुर	2013–14	245	232
13	कोण्डागांव	कन्या शिक्षा परिसर, बहीगांव	2013–14	245	243
14	नारायणपुर	कन्या शिक्षा परिसर, नारायणपुर	2014–15	500	472
		योग		**4450**	**3867**

कन्या माध्यमिक शाला केन्द्री, राजनांदगांव

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित एवं शत्–प्रतिशत सहायता प्राप्त प्रदेश में 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों का संचालन भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप गठित एक उच्च स्तरीय स्वशासी 'छ.ग. राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान' समिति द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली बालक–बालिकाओं को आवासीय एवं शिक्षण सुविधा प्रदान किया जाकर उनका शैक्षणिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अर्थात सर्वांगीण विकास हेतु प्रदेश अंतर्गत वर्ष 2018–19 से संचालित EMRS विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित होती है। इन कक्षाओं में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जाता है।

वर्तमान में 10 कन्या तथा 06 बालक एवं 59 संयुक्त इस प्रकार कुल 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक 60 सीटर प्रति कक्षा के मान से प्रत्येक विद्यालय में 420 बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। शिक्षण सत्र 2024–25 में विद्यालयों में कुल 25860 सीट स्वीकृत है। जिसमें 25074 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)

संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी

वर्ष	विद्यालयों की संख्या	स्वीकृत सीट	प्रवेशित सीट
2024—25	75	25860	25074
2023—24	74	22860	22291
2022—23	73	19380	19125
2021—22	71	15660	15581
2020—21	71	12240	11595
2019—20	42	8700	8021

शिक्षण सत्र 2024-25 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी
(दिनांक 15.11.2024 की स्थिति में)

कक्षा	स्वीकृत सीट			प्रवेशित सीट			रिक्त सीट		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
6वीं	2130	2370	4500	2111	2352	4463	19	18	37
7वीं	2100	2340	4440	2089	2334	4423	11	6	17
8वीं	2070	2310	4380	2065	2305	4370	5	5	10
9वीं	2010	2250	4260	1994	2236	4230	16	14	30
10वी	2010	2250	4260	1853	2168	4021	157	82	239
11वी	1380	1140	2520	1207	1086	2293	173	54	227
12वी	870	630	1500	699	575	1274	171	55	226
योग :-	**12570**	**13290**	**25860**	**12018**	**13056**	**25074**	**552**	**234**	**786**

कक्षा-11वीं एवं 12वीं में संकायवार अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	संकाय का नाम	कक्षा -11वीं			कक्षा-12वीं		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	गणित	304	166	**470**	141	87	**228**
2	विज्ञान	604	802	**1406**	466	476	**942**
3	कला	125	70	**195**	23	5	**33**
4	वाणिज्य	174	48	**222**	64	7	**71**
	योग-	**1207**	**1086**	**2293**	**699**	**575**	**1274**

विद्यालय संचालन हेतु राशि का प्रावधान

राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS), नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु प्रति विद्यार्थी राशि रूपये 1,09,000/— का प्रावधान किया गया है। जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	घटक/मद	अधिकतम वार्षिक व्यय	विवरण
1	कर्मचारी वेतन	280.00 लाख (53.54%)	कर्मचारी के वेतनमान (शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय)
2	विद्यार्थियों पर प्रत्यक्ष व्यय (प्रति विद्यार्थी 29270.84 के मान से)	140.50 लाख (26.86%)	1. मेस संचालन, 2. पुस्तक/कॉपियॉ, 3. दैनिक उपयोग की सामग्रियॉ, 4. चिकित्सा व्यय, 5. शाला गणवेश, 6. स्कूल बैंग, 7. सी.बी.एस.ई. शुल्क एवं 8. अन्य छात्र/छात्राओं से संबंधित।
3	विद्यालय संचालन पर	54.00 लाख (10.33%)	1. बिजली, 2. पानी, 3. स्टेशनरी, 4. फर्नीचर, 5. उपकरण मरम्मत, 6. डाक व्यय, 7. टेलीफोन/इंटरनेट, 8. भवनों का रख–रखाव एवं मरम्मत, 9. कम्प्यूटर लैब मैनटनेंस, 10. प्रवेश परीक्षा, 10. अन्य अकास्मिक व्यय
4	विद्यालयीन शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियॉ	8.50 लाख (1.63%)	1. एन.सी.सी., 2. स्काउट 3. कला एवं सांस्कृतिक कार्यशाला 4. संसाधन कक्ष, 5. शैक्षणिक भ्रमण, 6. संग्रहालय,7. मोटिवेशनल क्लासेस, 8. शैक्षणिक गतिविधियॉ, 9. व्यवसायिक प्रशिक्षण।
5	राज्य सोसायटी पर प्रशासनिक व्यय	10.00 लाख (1.91%)	छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रशासनिक व्यय रखा जावेगा।
6	पूंजी मद अंतर्गत (कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लासेस, बेडिंग आयटम एवं प्रमुख मरम्मत)	20.00 लाख (3.82%)	NESTS/केन्द्र स्तर पर राशि सुरक्षित रहेगी जिसे राज्य सोसायटी द्वारा विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सोसायटी द्वारा राशि उपलब्ध कराया जावेगा।
7	केन्द्रीय गतिविधियॉ	10.00 लाख (1.91%)	NESTS/केन्द्र स्तर पर राशि सुरक्षित रहेगी, केन्द्रीय सोसायटी द्वारा स्पोर्ट मीट, कल्चर प्रोग्राम एवं अन्य गतिविधियों हेतु राशि राज्य सोसायटी को उपलब्ध कराया जावेगा।
	योग	**523.00 (100%)**	
राशि रूपये 1.09 लाख प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष के मान से			

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम

वर्ष	कक्षा 10वीं		कक्षा 12वीं	
	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत	कुल परीक्षार्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत
2023–24	2353	98.88%	1285	75.87%
2022–23	1399	93.14%	855	64.58%
2021–22	1274	98.74%	364	80.59%
2020–21	842	100%	563	99.64%
2019–20	660	98.03%	554	94.22%
2018–19	603	98.67%	469	89.55%

राष्ट्रीय साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कला उत्सव वर्ष 2024-25

वर्ष 2024–25 में 11 नवम्बर 2024 से 15 नवम्बर 2024 तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के मध्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कला उत्सव का आयोजन भुवनेश्वर ओड़िशा में किया गया। प्रदेश में संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से चयनित 85 प्रतिभागियों नें इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया।

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के प्रतिभागियों को प्राप्त पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	प्रतियोगिता का नाम	प्रतिभागी का नाम	प्राप्त स्थान	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	दृश्यकला–द्विआयामी	पुनम सिंह	द्वितीय	EMRS तरेगांव जंगल, कबीरधाम
2	दृश्यकला–त्रिआयामी	झामसिंह	द्वितीय	EMRS तरेगांव जंगल, कबीरधाम
3	वादन–जनजातीय	पोखराज ध्रुव	तृतीय	EMRS कोसमबुड़ा, गरियाबंद
4		खुशहाल ध्रुव		
5	रचनात्मक लेखन	छाया सिंग	तृतीय	EMRS उदयपुर, सरगुजा
6	शास्त्रीय वादन एकल (मेलोडी)	मिनाक्षी सिदार	तृतीय	EMRS धरमजयगढ़, रायगढ़
7	संगीत वादन फोक	बोधसागर	द्वितीय	EMRS सीतापुर, सरगुजा
		आदर्श लकड़ा		
		आलाश नाग		
		सूरज तोपो		

प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम :-

वर्ष 2023–24 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 03 विद्यार्थी JEE तथा 05 विद्यार्थी NEET परीक्षा में क्वालिफाई हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	विद्यालय	विद्यार्थी का नाम	प्रतियोगी परीक्षा	अध्ययन हेतु आवंटित संस्था का नाम
1	बालोद	EMRS डौण्डी	विजय कुमार सहारे	JEE	IIIT रायपुर
2	बालोद	EMRS डौण्डी	रौशनी कुमार्य	JEE	NIT रायपुर
3	बस्तर	EMRS करपावण्ड	समीर कुमार	JEE	NIT रायपुर
4	गौरेला–पेण्ड्रा	EMRS डोंगरिया	भूपेन्द्र सिंह पैंकरा	NEET	शा.मेडि.कॉलेज जगदलपुर MBBS
5	बस्तर	EMRS करपावण्ड	विपिन कश्यप	NEET	शा.मेडि.कॉलेज जगदलपुर MBBS
6	जशपुर	EMRS सन्ना	आदित्य पैंकरा	NEET	CGMGMC दुर्ग MBBS
7	सूरजपुर	EMRS शिवप्रसादनगर	दिनेश कुमार नाग	NEET	शा.मेडि.कॉलेज अम्बिकापुर MBBS
8	रायगढ़	EMRS छोटेमुड़पार	अनुज राठिया	NEET	शा.मेडि.कॉलेज रायगढ़ MBBS

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(1.) Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports (ABVIMAS) Special Advance Mountaineering Course

भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, पर्वतारोहण संस्थान एवं एलाइट स्पोर्ट्स मनाली (हिमाचल) में 12.09.2024 से 06.10.2024 तक विशेष उन्नत पर्वतारोहण पाठ्यक्रम के रूप में एक साहसिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें प्रदेश के 04 विद्यार्थियों द्वारा भाग लिया गया :–

SN	District	Name of EMRS	Name of Candidate	Gender	Passing Grade
1	Kanker	EMRS Antagarh	Kirtan Padmakar	M	A
2	Kanker	EMRS Antagarh	Himalay	M	A
3	Narayanpur	EMRS Orcha	Maso Ram	M	A
4	Surajpur	EMRS Shivprasad nagar	Vikas Paikra	M	A

एकलव्य आदर्श आदिवासी विद्यालय, अंतागढ़ जिला - कांकेर में स्थापित जूनियर साईंस लैब में अध्ययन करते बच्चे

(2.) EMRS विद्यालयों का 4 थे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन :-

राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभागियों को शामिल कराने हेतु राज्य स्तरीय टीम के चयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत संचालित 75 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के मध्य राज्य स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 27 एवं 28 नवम्बर 2024 को अंबिकापुर, जिला–सरगुजा में किया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु चयनित प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है :–

राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों की संख्या 2024

स.क्रं.	खेल का नाम	बालक	बालिका	कुल
1	तीरंदाजी (आर्चरी)	7	5	12
2	एथलेटिक्स	12	12	24
3	बैडमिंटन	6	5	11
4	मुक्केबाजी (बॉक्सिग)	0	4	4
5	शतरंज (चेस)	6	6	12
6	जिमनास्टिक	0	0	0
7	जूडो	7	3	10
8	टेनिस	1	0	1
9	निशानेबाजी (शूटिंग)	0	0	0
10	तैराकी (स्वीमिंग)	8	6	14
11	टेबल टेनिस	6	6	12
12	ताईक्वाण्डो	4	12	16
13	भारोत्तोलन (वेट लिफ्टिंग)	5	4	9
14	कुश्ती (रेसलिंग) फ्रीस्टाईल	14	13	27
15	योग	6	6	12
16	बास्केटबॉल	10	10	20
17	फुटबाल	15	15	30
18	हैडबाल	10	10	20
19	हॉकी	16	16	32
20	कबड्डी	12	12	24
21	खो–खो	12	12	24
22	व्हालीबाल	12	12	24
कुल योग		**169**	**169**	**338**

विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTG) हेतु आवासीय विद्यालय

छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा घोषित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं। ये जातियां बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा हैं। इन जनजातियों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम होने के कारण स्वास्थ्य, रोजगार एवं जागरूकता की कमी होने के कारण इनकी स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में काफी दयनीय है। इन जनजातियों को ऊपर उठाने हेतु शिक्षा एक सर्वाधिक कारगर माध्यम है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के विकास हेतु विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संरक्षण सहविकास (CCD) की कार्ययोजना (के.क्षे.यो.) वर्ष 2012–17 अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ–20–18 / 2013 / 25–2 / आजक दिनांक 03 / 10 / 2013 एवं 30 / 03 / 2017 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय हेतु पदों की संरचना स्वीकृत की गई है। विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय का संचालन कक्षा–पहली से कक्षा–दसवीं तक किया जा रहा है। इस विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को राशि रूपये 85,000 /– वार्षिक के मान से समस्त व्यय हेतु राशि स्वीकृत किया जाता है।

PVTG पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भवन भेलवाडीह जिला - बलरामपुर

PVTG बैगा आवासीय विद्यालय भवन नौढ़िया, जिला - मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का PVTG समुदाय के साथ छायाचित्र

शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रदेश अंतर्गत सचांलित विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी

क्र.	जिला	विकास खंड	विद्यालय संचालन का स्थान	अध्ययनरत विद्यार्थियों की जानकारी										योग
				प्राथमिक स्तर					माध्यमिक स्तर					
				1 ली	2 री	3 री	4 थी	5 वीं	6 वीं	7 वीं	8 वीं	9 वीं	10 वीं	
1	धमतरी	नगरी	कमार आवासीय विद्यालय मुकुंदपुर	18	19	20	16	20	15	16	13	0	0	137
2	सरगुजा	अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय घंघरी	20	18	18	0	0	20	19	14	19	18	146
3	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार आवासीय विद्यालय केसोडोर	20	20	0	0	0	19	20	0	0	0	79
4	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	भरतपुर	बैगा आवासीय विद्यालय नौढ़िया	20	20	0	0	0	20	20	0	0	0	80
5	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी	20	20	20	20	20	20	20	20	18	20	198
6		बोड़ला	बैगा आवासीय विद्यालय चौरा	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	198
7	जशपुर	बगीचा	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय रूपसेरा	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	160
8	बलरामपुर	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	20	20	20	20	0	22	20	21	19	18	180
9	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	गौरेला	बैगा आवासीय विद्यालय धनौली	19	20	12	32	0	20	20	27	10	0	160
10	नारायणपुर	ओरछा	अबुझमाड़िया आवासीय विद्यालय ओरछा	20	20	20	0	0	20	19	19	0	0	118
				197	197	150	128	80	196	194	154	85	75	1456

विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों से संबंधित जानकारी :-

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट	स्वयं के भवन संचालित/ निर्माणाधीन
1	धमतरी	नगरी	कमार आवासीय विद्यालय मुकुंदपुर	2012–13	160	संचालित
2	सरगुजा	अंबिकापुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय घंघरी	2012–13	160	संचालित
3	गरियाबंद	गरियाबंद	कमार आवासीय विद्यालय केसोडोर	2012–13	120	संचालित
4	मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर	भरतपुर	बैगा आवासीय विद्यालय नौढ़िया	2012–13	120	संचालित
5	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी	2012–13	200	संचालित
6		बोड़ला	बैगा आवासीय विद्यालय चौरा	2014–15	120	संचालित
7	जशपुर	बगीचा	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय रूपसेरा	2014–15	200	संचालित
8	बलरामपुर	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	2014–15	200	संचालित
9	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	गौरेला	बैगा आवासीय विद्यालय धनौली	2014–15	160	संचालित
10	नारायणपुर	ओरछा	अबुझमाड़िया आवासीय विद्यालय ओरछा	2016–17	160	निर्माणाधीन
					1600	

विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम :-

शिक्षण—सत्र 2023—24 में 03 विशेष पिछड़ी आवासीय विद्यालय कक्षा—दसवीं तक संचालित थे जिनमें परीक्षा परिणाम शत् प्रतिशत् रहा विवरण निम्नानुसार :—

क्र.	जिला	विकासखंड	विद्यालय का नाम	परीक्षा में शामिल	उत्तीर्ण संख्या	अनुत्तीर्ण	परीक्षा परिणाम प्रतिशत में
1	धमतरी	नगरी	कमार आवासीय विद्यालय मुकुंदपुर	03	03	00	100%
2	कबीरधाम	पंडरिया	बैगा आवासीय विद्यालय पोलमी	18	18	00	100%
3	बलरामपुर	बलरामपुर	पहाड़ी कोरवा आवासीय विद्यालय भेलवाडीह	17	17	00	100%

पं. जवाहर लाल नेहरू विद्यार्थी उत्कर्ष योजना वर्ष 2024-25

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट मापदंड स्थापित करने वाले निजी प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालय एवं समकक्ष संस्थाओं के महंगी फीस के कारण प्रतिभावन आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 130 अनुसूचित जनजाति एवं 70 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2024—25 में कुल 1116 विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययनरत् है। इस हेतु वर्ष 2024—25 में कुल बजट प्रावधान 1570.00 लाख का है।

योजनांतर्गत विगत वर्षो की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (राशि लाख में)	विद्यार्थियों की संख्या		
			नवीन प्रवेशित	नवीनीकरण	योग
1	2013—14	1011.74	145	986	1131
2	2014—15	1220.00	186	1059	1245
3	2015—16	1245.00	82	1086	1168
4	2016—17	1245.00	244	719	963
5	2017—18	1400.00	175	824	999
6	2018—19	1400.00	182	791	973
7	2019—20	1400.00	150	815	965
8	2020—21	1420.00	—	808	808
9	2021—22	1420.00	256 (वर्ष 2020—21 एवं 2021—22)	625	881
10	2022—23	1420.00	181	851	1032
11	2023—24	1420.00	192	916	1108
12	2024—25	1570.00	194	922	1116

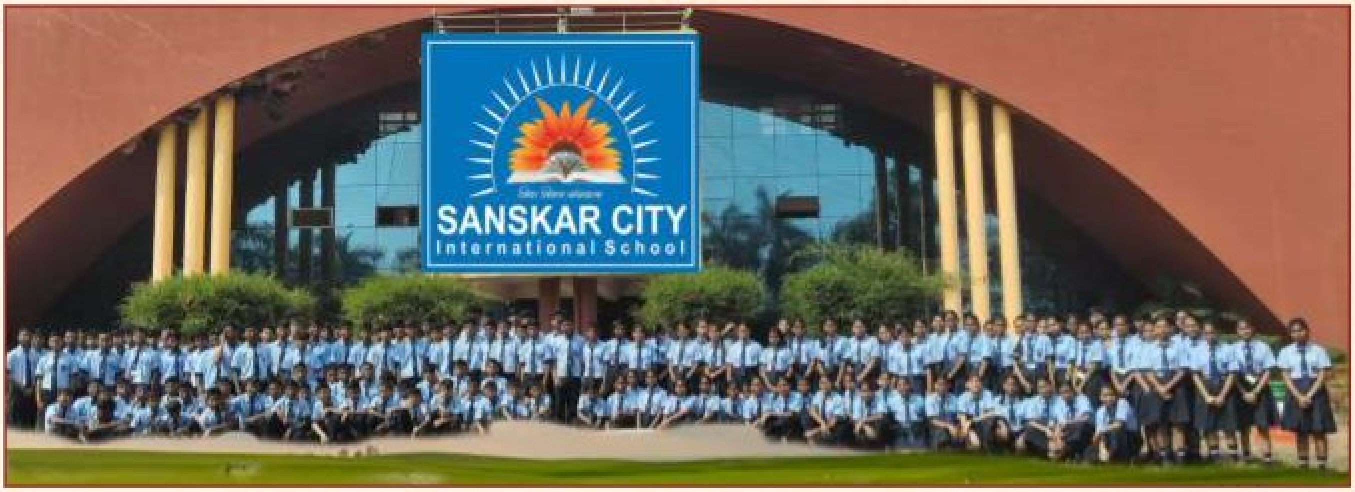

उपलब्धियाँ :-

क्र.	वर्ष	छात्रों का परीक्षा परिणाम का प्रतिशत	
		10वीं प्रतिशत	12वीं प्रतिशत
1	2016—17	90.48	70.94
2	2017—18	85.71	82.83
3	2018—19	98.40	93.84
4	2019—20	99.00	94.96
5	2020—21	100	96.64
6	2021—22	100	100
7	2022—23	100	95.03
8	2023—24	97.82	92.59

क्रीड़ा परिसर

क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 20 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे है, जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर 100 सीट के मान से कुल 2000 सीट स्वीकृत है। ये क्रीड़ा परिसर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरंतर अध्ययनरत है।

क्रीड़ा परिसर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला का नाम	संस्था का नाम	मुख्य खेल विधाएं				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर गोगॉव रायपुर	खो–खो	वेटलिफ्टिंग	तीरंदाजी	बैडमिंटन	एथलेटिक्स
2	गरियाबंद	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, गरियाबंद जिला गरियाबंद	नेटबॉल	हॉकी	व्हालीबॉल	बास्केटबाल	एथलेटिक्स
3	बिलासपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग बालक क्रीड़ा परिसर बिलासपुर जिला बिलासपुर	कबड्डी	तैराकी	बैडमिंटन	फुटबॉल	एथलेटिक्स
4	गौरेला पेण्ड्रा मरवाही	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, गुरुकुल विद्यालय पेण्ड्रारोड जिला गौरेला	फुटबॉल	जिमनास्टिक	तीरंदाजी	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
5	मुंगेली	अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर, मुंगेली जिला मुंगेली	तीरंदाजी	बास्केटबॉल	बेसबॉल	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स
6	जंजगीर–चांपा	अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर, चिस्दा (हसौद) जिला जांजगीर	खो–खो	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	सफ्टबॉल	एथलेटिक्स
7	रायगढ़	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	हॉकी	हैण्डबॉल	व्हालीबॉल	नेटबॉल	एथलेटिक्स
8	बालोद	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, डौण्डी जिला बालोद	फुटबॉल	कबड्डी	थ्रोबॉल	तीरंदाजी	एथलेटिक्स
9	राजनांदगांव	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	बास्केटबॉल	खो–खो	एथलेटिक्स
10	सरगुजा	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, अंबिकापुर जिला सरगुजा	व्हालीबॉल	हॉकी	हैण्डबॉल	तैराकी	एथलेटिक्स

11	बलरामपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, बलरामपुर जिला बलरामपुर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो–खो	टेबल टेनिस	एथलेटिक्स
12	कोरिया	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया	हॉकी	फुटबॉल	साफ्टबॉल	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
13	जशपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, जशपुर जिला जशपुर	हॉकी	खो–खो	टेबल टेनिस	फुटबॉल	एथलेटिक्स
14		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, जशपुर जिला जशपुर	खो–खो	हॉकी	फुटबॉल	साफ्टबॉल	एथलेटिक्स
15	बस्तर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुर जिला बस्तर	तीरंदाजी	कुश्ती	व्हालीबॉल	कबड्डी	एथलेटिक्स
16		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, धरमपुर जिला बस्तर	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	हैण्डबॉल	कुश्ती	एथलेटिक्स
17		अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, भनपुरी जिला बस्तर	कबड्डी	हैण्डबॉल	नेटबॉल	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स
18	कांकेर	अनुसूचित जनजाति कन्या क्रीड़ा परिसर, कांकेर जिला कांकेर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो–खो	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
19		अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, नरहरपुर, जिला कांकेर	तीरंदाजी	कबड्डी	खो–खो	हैण्डबॉल	एथलेटिक्स
20	नारायणपुर	अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर, नारायणपुर जिला नारायणपुर	फुटबॉल	मलखम्ब	तीरंदाजी	व्हालीबॉल	एथलेटिक्स

टीप :- बलरामपुर जिला मुख्यालय में अनुसूचित जनजाति कन्या वर्ग के लिए नवीन क्रीड़ा परिसर स्वीकृत किया गया। इसके प्रारंभ होने से क्रीड़ा परिसरों की संख्या 21 हो जाएगी।

क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों को सुविधाएं :-

प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थी आवासीय सुविधा सहित खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रुपये 1500 शिष्यवृत्ति एवं रुपये 500 पोषण आहार हेतु इस प्रकार कुल राशि रुपये 2000 प्रतिमाह दिया जाता है।

विभागीय क्रीड़ा परिसर में प्रत्येक विद्यार्थी को वर्ष में एक बार राशि रुपये 3000 मूल्य का संपूर्ण खेल पोषाक दी जाती है, जिसमें 01 ट्रैक सूट, 01 स्पोर्टस/वार्मअप शूज, 02 जोड़ी मोजा एवं 02 जोड़ी संबंधित खेल की पोषाक सम्मिलित है।

कन्या क्रीड़ा परिसर धरमपुरा जगदलपुर जिला बस्तर की एथलेटिक्स (ऊंची कूद) की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी कक्षा-8वीं में अध्ययनरत कु. राखी नेताम, बस्तर ओलंपिक में बेस्ट 10 प्लेयर में सबसे कम उम्र की बस्तर यूथ आइकॉन घोषित, माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।

उपलब्धियाँ -

1. राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2022 जगदलपुर ऊंची कूद में रजत पदक प्राप्त किया।
2. राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता2023 बिलासपुर में रजत पदक प्राप्त किया।
3. बस्तर ओलंपिक 2024 खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया।
4. 67वी राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 लखनऊ में प्रतिभागी।
5. 68 वी राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 रांची झारखंड में प्रतिभागी।

विशेष :-

1. तीरंदाजी में राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता में सम्मिलित।
2. बस्तर ओलंपिक में बेस्ट 10 प्लेयर में सब से कम उम्र की बस्तर यूथ आइकॉन घोषित।

सत्र 2024–25 में क्रीड़ा परिसरों में सात दिवसीय खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 21 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के मध्य किया गया, जिसमें विभागीय एवं आमंत्रित प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही इन्हें प्राथमिक चिकित्सा, न्यूट्रिशन, फीजियोथेरिपी इत्यादि की प्रायोगिक जानकारी भी दी गई।

राष्ट्रीय शालेय हैंडबॉल क्रीड़ा प्रतियोगिता महासमुंद में अंडर 14 बालिका टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिसमें कन्या क्रीड़ा परिसर कांकेर के 05 खिलाड़ी - सुभद्रा दुग्गा, रचना दर्रो, वर्षा नेताम, मानो कुमेटी, लक्ष्मी मरकाम एवं कन्या क्रीड़ा परिसर, अंबिकापुर की अनुराधा, गायत्री शामिल थी।

ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।

छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृत एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी। प्रक्रिया के सरलीकरण एवं समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012–13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.Postmatric-scholarship.cg.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल में छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी तथा प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

वर्ष 2015–16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुसार विद्यार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति राशि का हस्तांतरण ऑनलाईन के माध्यम से किया जा रहा है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015–16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कक्षा 12 वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 में कुल 474867 विद्यार्थियों को राशि रूपये 29401.60 लाख की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2024–25 की छात्रवृत्ति स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान निम्नानुसार है :-

SC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2021-22	114367	5847.75
2022-23	93792	6734.15
2023-24	86032	6618.26

ST Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2021-22	173112	8050.22
2022-23	124787	8579.92
2023-24	118871	8367.28

OBC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)
2021-22	326684	11719.03
2022-23	330006	13393.83
2023-24	269964	14416.06

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अ.ज.जा.)

- आय—सीमा रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.04.2022 से निम्नानुसार लागू हैं :—

समूह	समूह	छात्रावासी		दिवा छात्र	
		माहवार	वार्षिक	माहवार	वार्षिक
समूह-1	Bechelor, Master Degree, MPhil/PhD degree leading to Degree, PG Diploma, In professional courses in various streams.	1200	12000	550	5500
समूह-2	All non-professional recognized courses leading to a Bachelor, Master Degree, MPhil/PhD degree not covered under Group -I in Arts, Science and Commerce like BA/B.Sc./B.Com or MA/ MSc/ M.Com	820	8200	530	5300
समूह-3	Vocational stream, ITI courses, 3 year diploma courses in Polytechnics, etc.	570	5700	300	3000
समूह-4	All post -matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificate (class XI and XII).	380	3800	230	2300

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनुसूचित जाति)

- आय–सीमा– रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें वर्ष 2020–21 से वर्ष 2025–26 तक निम्नानुसार लागू है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह-1- डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	13500	7000
समूह-2 - डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट से संबंधित अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	9500	6500
समूह-3- स्नातक एवं स्नातकोत्तरीय स्तरीय अन्य पाठ्यक्रम (जो समूह–1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं)	6000	3000
समूह-4- सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो।	4000	2500

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय–सीमा–रू. 1,00,000 / – तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :–

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ–मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ–डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	135	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ–सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	145	105	115
ई–सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स–कक्षा – 11वीं		100	110	50	60
कक्षा – 12वीं		100	110	55	70

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा की जानकारी (अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति शाखा)

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदायवार लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। अतः नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :–

1. मैट्रिक पूर्व (प्री. मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ–साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है । इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि का वहन किया जाता है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण–पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :–

क्रमांक	विवरण		छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)	रिमार्क
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण–पोषण भत्ता)		–	100/– प्रतिमाह	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/– प्रतिवर्ष	500/– प्रतिवर्ष	
		शिक्षण शुल्क	350/– प्रतिमाह	350/– प्रतिमाह	
		भरण पोषण भत्ता	600/– प्रतिमाह	100/– प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है ।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है ।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा "आनलाईन" आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष 2023—24 एवं 2024—25 में भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति :-

यह योजना वर्ष 2007—08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत्/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ—साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण—पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :—

क्र.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर	रिमार्क
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/— प्रतिवर्ष	7,000/— प्रतिवर्ष	अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो।
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/— प्रतिवर्ष	10,000/— प्रतिवर्ष	
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/— प्रतिवर्ष	3,000/— प्रतिवर्ष	
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/— प्रतिमाह	230/— प्रतिमाह	
	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/— प्रतिमाह	300/— प्रतिमाह	
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/— प्रतिमाह	550/— प्रतिमाह	

पात्रता :-

1. जिन्होने पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किया हो।
2. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
3. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।
5. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007–08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल है। इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखे जा सकते हैं) में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है:–

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रू. 1000/– प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/–	रू. 500/– प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/–
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रू. 20,000/– प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/– वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो भी वे छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनका हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हो।
3. जिनके पालक की सभी स्त्रोंतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward/Submit किया जाता है तत्पश्चात् संस्था एवं जिला कार्यालय के द्वारा Scrutiny की जाती है । भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष 2023—24 एवं 2024—25 में भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

OOOOO

रोजगार मूलक योजनाएं

बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन की सुविधा योजना

यह योजना वर्ष 2009—10 से प्रारंभ की गयी हैं। वर्ष 2012—13 में योजना नियम यथा संशोधित संचालित है। योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष संचालक चिकित्सा शिक्षा के प्रावीण्य सूची के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों हेतु शैक्षणिक, छात्रावास एवं मेस शुल्क की राशि दिये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत विगत वर्षों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निम्नानुसार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है :—

क्र.	वर्ष	वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2019—20	220	329	549
2	2020—21	253	365	618
3	2021—22	288	497	785
4	2022—23	329	480	809
5	2023—24	315	416	731
6	2024—25	343	369	712
	योग	1748	2456	4204

हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण -

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006—07 से प्रारंभ की गयी थी। वर्ष 2013—14 यथा संशोधित ''हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट'' अंतर्गत डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत प्रत्येक वर्ष कुल 100 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है, जो बजट उपलब्धता के आधार पर परिवर्तनशील है। विगत वर्षों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार लाभान्वित किया गया है।

क्र.	वर्ष	वर्गवार विद्यार्थियों की संख्या		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1	2019—20	105	54	159
2	2020—21	113	45	158
3	2021—22	26	8	34
4	2022—23	76	24	100
5	2023—24	54	37	91
6	2024—25	74	68	142
	योग	448	236	2684

निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2008–09 से प्रारंभ की गयी है। योजनांतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। विगत वर्षो में अनुसूचित जाति वर्ग 735 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1207 इस प्रकार कुल 1942 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008–09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष 2024–25 में राशि रूपये 30.00 लाख का बजट प्रावधान है। जिसमें से जिलों को राशि रू. 26.85 लाख जारी की गई है।

○○○○○

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण एवं विकास संबंधित योजनाएँ

देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत :-

आदिवासी सांस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहूल्य क्षेत्रों में आदिवासियों के पूजा एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत योजना वर्ष 2006–07 से संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण / मरम्मत हेतु वर्ष 2017–18 से प्रति देवगुड़ी राशि रू. 1,00000 / – रूपये उपलब्ध करायी जाती थी। वर्ष 2021–22 में प्रति देवगुडी राशि रूपये 1,00,000 / – के स्थान पर अधिकतम राशि रूपये 5,00,000 / – प्रति देवगुडी स्वीकृति किये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में राशि रू. 800.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके विरूद्ध 310 देवगुड़ी हेतु राशि रू. 747.00 लाख स्वीकृत किए गए हैं। योजनांतर्गत अब तक 14294 देवगुडी स्वीकृत की गई हैं।

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता :-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों को सांस्कृतिक वाद्य यंत्र कय करने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रू. 10,000 / – दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2024–25 में राशि रूपये 90.00 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2024–25 में योजना नियमानुसार निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 590 हितग्राहियों के लिए राशि रूपये 59.00 लाख जिलों को आबंटन उपलब्ध कराया गया है।

OOOOO

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, संशोधन अधिनियम-2015 यथा संशोधित अधिनियम 2018 अंतर्गत राहत योजना

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 संशोधन अधिनियम 2015 तथा मूल अधिनियम 1989 में पुनः 2018 में संशोधन कर संशोधन अधिनियम 2018 लागू किया गया है।

छ.ग. राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधन नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :–

<table>
<tr><th>क्र.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><td>1</td><td>अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)</td><td rowspan="5">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए :
(i) क्रम संख्यांक (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत
(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है तब 50 प्रतिशत।
(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मल–मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूंछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ङ.)</td></tr>
<tr><td>6</td><td>भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)</td><td rowspan="2">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा :
(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत
(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)</td></tr>
</table>

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
8	बेगार या अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
9	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ)	
10	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	
11	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	
12	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	
14	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक (अधिनियम की धारा 3(1)(ढ़) तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण	
15	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ण)	
16	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौज करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)	
20	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	
21	शत्रुता, घृणा वैमन्सय की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प)	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
22	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यो या अंगविक्षेपों का उपयोग करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसकी शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है, चार लाख पंद्रह हजार रूपए।) (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। 2. चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
25	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354(1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत
27	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत
28	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
29	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
30	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. चिकित्सा परीक्षा और पृष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509(1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एमआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 30(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला विनिश्चय की जाने वाली प्राधिकारी द्वार प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुँचाना (अधिनियम की धार 31(1)(म)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। 3. निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत 3. अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बांधा डालना या निवारित करना – (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों, कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टेंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना चा जूना आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(इ)	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के साथ या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षे प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनिमय की धारा 3(1)(यक)(उ)	(उ) कोई व्यवयाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारवार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
		1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37	डायन होने या जादू–टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप प्त्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा 3(1)(यग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3(2)(i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
40	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकात है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा ऐसे अपराधों के लिए भारतीयदंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(va)	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकात है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii)	पीड़ित और उसके आश्रितों को दो लाख रूपये। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं 16–18/97–एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अंतर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
	(क) शत–प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख और पच्चीस हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत–प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख और पचास हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
44	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375)	पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय पीड़ित को पांच लाख रूपए संदाय 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग (भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ)	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। 3. अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।

क्र.	अपराध का नाम	राहत की न्यूनतम राशि
45	हत्या या मृत्यु	पीड़ित का आई लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : 1. शव परीक्षा के पश्चात् 50 प्रतिशत। 2. 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाने पर।
46	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बालत्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीड़ितों के अतिरिक्त अनुतोष	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :– 1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : 2. पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण–पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा।
47	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।''

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुंचाने हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता योजना नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140 प्रतिशत से 166 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200 प्रतिशत वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके

परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2023–24 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कुल 1079 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2024–25 में माह नवम्बर 2024 की स्थिति में 595 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2022 में उक्त समिति की बैठक 25 अगस्त 2022 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया जाता है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 27 जिलों यथा जिला–रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालौदा, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं कोण्डागांव में विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत हैं। शेष 5 जिलों में क्रमशः गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, मोहला–मानपुर, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, खैरागढ़–छुईखदान में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर–चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ है, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती हैं।

राहत एवं पुनर्वास सहायता :- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल राहत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2024–25 में राशि रू. 1621.46 लाख का आबंटन जिलों को जारी किया गया है।

अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :- अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों को आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सदभावना शिविर का आयोजन 02 अक्टूबर को देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति के महापुरूषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति एवं अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयेाजन हेतु वर्ष 2024–25 में राशि रू. 42.50 लाख जिलों को जारी किया गया है, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनान्तर्गत दिनांक 13 अप्रैल 2018 से प्रति दंपत्ति रू. 2,50,000/– सम्मान राशि दिए जाने का प्रावधान है।

- वर्ष 2024–25 में छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना नियम के अन्तर्गत राशि रू. 1562.50 लाख जिलों को जारी किए गए हैं, जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण :- छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 168 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं वर्ष 2020 तक सभी 4391 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। छ.ग. राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे, जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ.ग. राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :- केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत प्रथम चरण में छ.ग. राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर–चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा–आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 8125.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है, जिसका पुनर्रावंटन संबंधित जिलों को किया जा चुका है। भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत द्वितीय सोपान द्वारा छ.ग. राज्य के 23 जिलों के 909 नवीन ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

सम्मान पुरस्कार

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियॉ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2024–25 में श्री बुटलू राम माथरा, ग्राम व पोस्ट–मुरूमपारा, तहसील–देवगांव, जिला–नारायणपुर छत्तीसगढ़ को पुरूस्कृत किया गया है।

स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू0 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2024–25 में श्री सोनऊ राम नेताम, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्थान, रायपुर पता–ओ–18, अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ को पुरूस्कृत किया गया है।

गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 2024–25 में श्री राजेन्द्र रंगीला (गिलहरे) ग्राम–कुटेश्वर पोस्ट–गोढ़ी, थाना–मंदिर हसौदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर छत्तीसगढ़ का पुरूस्कृत किया गया है।

स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार :- ''स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार'' अंतर्गत उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्य रचनाओं तथा साहित्य साधना को सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से उक्त पुरस्कार योजना के संबंध में राज्य स्तरीय सम्मान की शासन द्वारा स्थापना की गई है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त योजना अंतर्गत राशि रू. 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

लोक कला महोत्सव :-

शहीद वीर नारायण सिह लोक कला महोत्सव :- शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदाबाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिए जाते हैं। उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

गुरू घासीदास लोककला महोत्सव :- ''गुरू घासीदास लोककला महोत्सव'' योजना 2005 संचालित है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे–पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते हैं। गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोककला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।

OOOOO

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

लक्षित वर्ग के कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रतिबद्ध

छत्तीसगढ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम रायपुर छत्तीसगढ सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 223 दिनांक 30.10.2000 में पंजीकृत है। निगम द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्गो के आर्थिक विकास की व्यक्तिमूलक योजनाओ का संचालन किया जाता है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 16 अंत्यावसायी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र राज्य के विभिन्न स्थानो पर संचालित किये जा रहे है।

उद्देश्य -

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सफाई कामगार को विभिन्न व्यवसायेा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकें।

बैंक प्रवर्तित योजना -

अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यो को निगम द्वारा अंत्योदय स्वरोजगार योजना व आदिवासी स्वरोजगार योजना का कियान्वयन हितग्राहियों को बैंको से ऋण दिलाने हेतु किया जाता है। इस योजना में बैंको द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/- तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता -

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो।
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,50,000/- हो, (परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एंव नाबालिग बच्चे से है)।
4. मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल आदि।

राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं -

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम विभिन्न राष्ट्रीय निगमो (अजा.अजजा.पि. वर्ग, अंल्पसंख्यक, सफाई कामगार) की वित्तीय ऋण सहायता से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगारोन्मुखी योजनाओं का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग अंल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार हेतु संचालित करता है। इसके अतिरिक्त इन वर्गो के विद्यार्थियो के लिए व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। व्यवसायिक उच्च शिक्षा हेतु ऋण देश या विदेश में अध्ययन के लिए दिया जाता है।

राष्ट्रीय निगमों की चेनलाईजिंग एजेन्सी -

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एंव विकास निगम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एंव विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित एंव विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित एंव विकास निगम की चैनेलाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय निगमो की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाएं -

विभिन्न राष्ट्रीय निगमों वित्तीय सहायता से ट्रेक्टर ट्राली योजना, गुड्स केरियर योजना, पैसेंजर व्हीकल योजना, स्मॉल बिजनेस योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, टर्म लोन योजना, जनरल लोन योजना, नई स्वर्णिमा (महिला) योजना, स्कीम अप प्रोजेक्ट (व्यक्तिमूल) योजना ,स्वच्छता से संबंधित वाहन योजना, सेनेटरी मार्ट योजना एंव शिक्षा ऋण योजना संचालित है।

व्यवसायों की सूची -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार के सदस्यो को स्वरूचि के व्यवसाय जैसे ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय–विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा आदि परिवहन संबंधी, ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल आदि क्षेत्रीय आवश्यकताजनित व्यवसाय। ये व्यवसाय मात्र उदाहरण स्वरूप है, आप अपने स्वरूचि व स्थानिय मांग एंव पूर्ति के आधार पर व्यवसाय चयन के लिए स्वतंत्र है।

राष्ट्रीय निगमों से संचालित योजनाओं में पात्रता -

1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो।
2. आवेदक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछडा वर्ग अल्पसंख्यक एंव सफाई कामगार वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण प्त्र)
3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू. 300000/– से अधिक न हो।
4. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो।
5. ट्रेक्टर ट्राली के लिए आवेदक के पास खेतीहार भूमि हो।
6. ट्रेक्टर ट्राली एंव वाहन लेने के इच्छुक आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल एंव संबधित का पासपोर्ट साइज फोटो।
7. ऋण स्वीकृति की स्थिती में आवेदक को ऋण के बराबर का गांरटी दिया जाना आवश्यक होगा।

ब्याज दर -

ऋण राशि रू. 5,00,000/— तक की विभिन्न योजनाओं में ब्याज दर 6: वार्षिक तथा ऋण राशि रू. 5,00,000/— से अधिक सभी योजनाओं में ब्याज दर 8: वार्षिक।

योजनाओं का प्रचार-प्रसार

छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एंव विकास निगम द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय निगमो की वित्तीय सहायता से संचालित योजनाओ का जिला स्तर पर दैनिक समाचार पत्रो, शिविर आयोजित कर एंव ब्रोसर पाम्पलेट छपाकर किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

हितग्राहीयों का चयन राज्य शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय हितग्राही चयन समिति द्वारा किया जाता है। जिसमें मान. सांसद, मान. विधायक एवं विभिन्न शासकीय विभागों के सदस्य होते है।

व्यवसायिक प्रशिक्षण -

अनुसूचित जाति व जनजाति के युवक/युवतियों के तकनीकी व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का कार्य 10 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में किया जा रहा है अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में वर्ग के 4 केन्द्र (रायपुर, दुर्ग, रतनपुर, सांरगढ) तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 6 केन्द्र (पेण्ड्रारोड, अंबिकापुर, नगरी, कोण्डागांव, नारायणपुर, कोसा जगदलपुर,) है।

प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में शिष्यवृत्ति के रूप में राशि रू. 1000/— प्रति माह उनकी उपस्थिति के मान से दी जाती है।

प्रशिक्षण ट्रेड -

एपैरल, इलेक्ट्रीशियन, आटोमोटिव, इलेक्ट्रानिक्स, कंस्ट्रकशन, इत्यादि।

नियोजन -

प्रशिक्षण पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थीयो को शासकीय /निजी सेवा क्षेत्र में अंत्यावसायी निगम द्वारा नियोजित किया जाता है, साथ ही स्वरोजगार हेतु इच्छुक प्रशिक्षणार्थीयो को निगम की योजना में लाभान्वित किया जाता है।

सम्पर्क -

राज्य स्तरीय कार्यालय - प्रबंध संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, (टी.आर.आई.) द्वितीय तल, मुक्तांगन के पास, सेक्टर–24 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

जिला कार्यालय - जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति सभी 33 जिला मुख्यालय में।

संचालित योजनाओं की प्रगति विवरण वर्ष 2024-25 (सितम्बर 2024 की स्थिति में)

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य		उपलब्धि	
		ई. संख्या	राशि	ई. संख्या	राशि
01	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	10000	1000.00	1341	134.10
02	आदिवासी स्वरोजगार योजना	2000	200.00	486	48.60
	योग :-	**12000**	**1200.00**	**1827**	**182.27**

फोटोग्राफ्स

हित. श्री अनुप कुमार, ग्रा. रिस्दा तह.मस्तुरी व्यव. ट्रैक्टर ट्राली मासिक आय राशि रू. 20000-25000 तक
अनु. जा. ट्रैक्टर ट्राली योजना, वि.स. क्षेत्र - मस्तुरी, जिला- बिलासपुर।

0हित.- श्रीमती सविता ध्रुव पता- सिरगिट्टी, व्यव.- कपड़ा दुकान, 12000 हजार की प्रतिमाह आमदनी, अनु.ज.जा. स्मॉ.बिज.योजना, वि.स.क्षेत्र -बिलासपुर जिला- बिलासपुर

हित.- श्री अनिल खाखा पता- ग्राम-जोगनीपाली व्यव.- च्वाईस सेंटर 10000 हजार की प्रतिमाह आमदनी, अनु.ज.जा. स्मॉ.बिज.योजना, वि.स.क्षेत्र - सरायपाली जिला- महासंमुद

त. श्रीमती छाया अहरवाल पता-जेल कॉ
पुर व्यव. - ई रिक्शा मासिक आय राशि
00-8000/- खर्च काटकर
नु.ज.जा. ई-रिक्शा योजना, वि.स. क्षेत्र -
पुर उत्तर- जिला- रायपुर

हित.- श्री श्री कार्तिकेश्वर, पता- पामगढ़ व्यव.- किराना दुकान, 12000/-की आमदनी प्रतिमाह अनु.जा. स्मॉ.बिज. योजना वि.स.क्षेत्र- पामगढ़ जिला- जांजगीर-चांपा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2007 यथा संशोधित नियम 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदक द्वारा कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित है। अन्य परंपरागत वन निवासी के मामले में दावाकर्ता का कट ऑफ डेट के पूर्व से तीन पीढ़ियों (75 वर्ष) से उस क्षेत्र के वन/वन भूमि में निवासरत होना भी आवश्यक है।

राज्य में 30.09.2024 तक व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु कुल 8,88,175 आवेदन/दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 4,79,792 दावे स्वीकृत कर 4,79,502 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार सामुदायिक वन अधिकार हेतु कुल 52,722 आवेदन/दावे प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 48,202 दावे स्वीकृत कर 48,175 वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता कुल 3,83,375.190 हेक्टेयर वन भूमि तथा सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता कुल 17,47,655.101 हेक्टेयर वन भूमि पर प्रदाय की गई है।

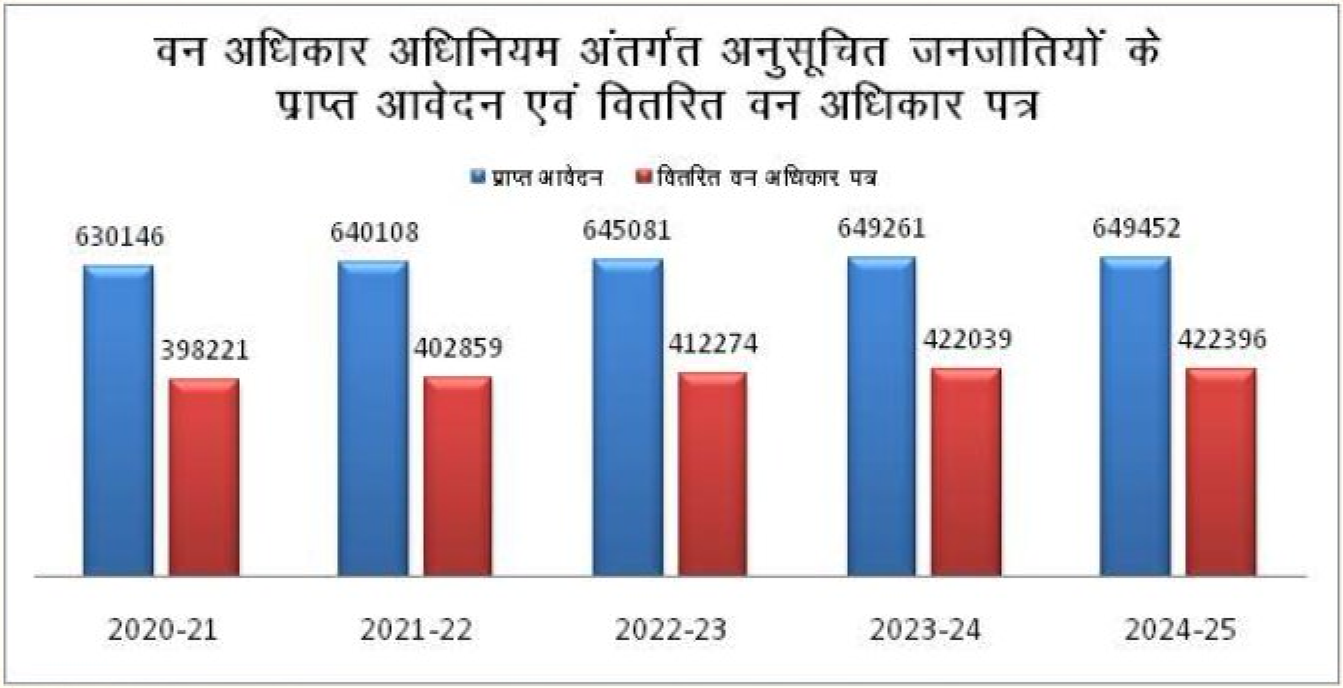

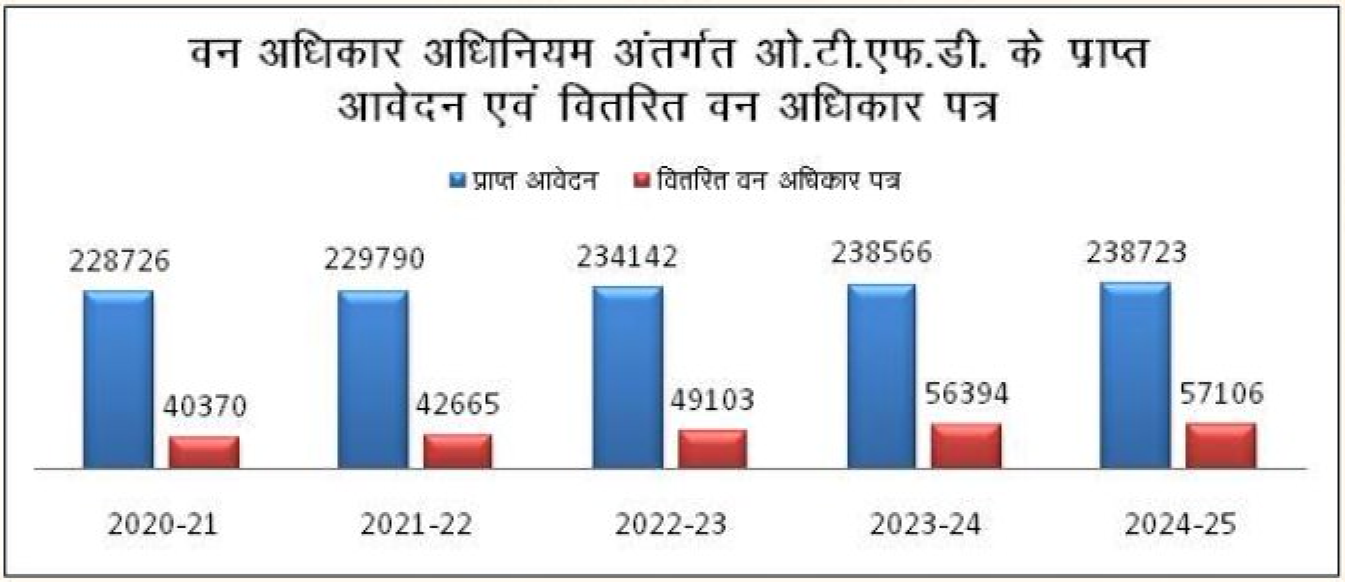
वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र
प्राप्त आवेदन
वितरित वन अधिकार पत्र
228726
40370
229790
42665
234142
49103
238566
56394
238723
57106
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25

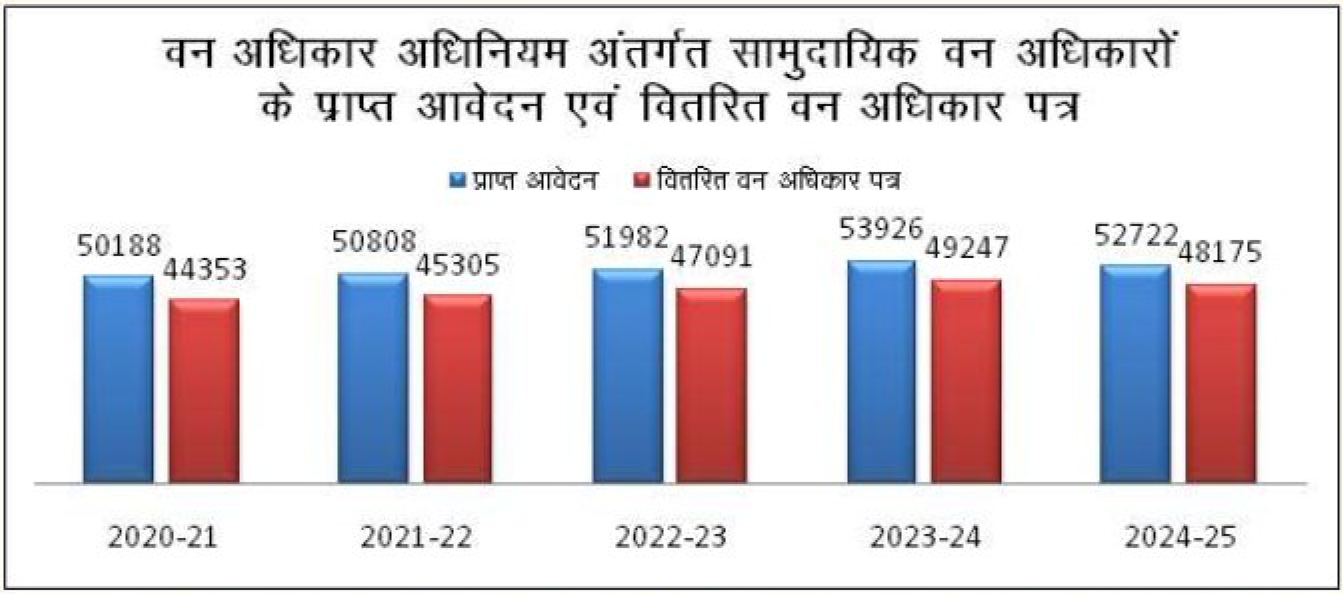
वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र
प्राप्त आवेदन
वितरित वन अधिकार पत्र
50188
44353
50808
45305
51982
47091
53926
49247
52722
48175
2020-21
2021-22
2022-23
2023-24
2024-25

राज्य सरकार की प्राथमिकता व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता के साथ ही सामुदायिक वन अधिकारों विशेषकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं कृषि पूर्व समुदायों/विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के पर्यावास अधिकारों की मान्यता प्रदान करने पर है ताकि अधिनियम की मंशा के अनुसार स्थानीय समुदाय द्वारा अपने वन संसाधनों की दीर्घकालिक उपभोग हेतु सुरक्षा की जा सके तथा अपनी आजीविका का संवर्धन किया जा सके। इसी के तारतम्य में राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत माह सितंबर, 2024 की स्थिति में 4,377 वन अधिकार पत्र संबंधित ग्रामसभाओं की 19,27,863.021 हेक्टेयर भूमि पर वितरित किए गए हैं।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 अंतर्गत वितरित वन अधिकार पत्र के धारकों की मृत्यु होने पर उनके विधिक वारिसानों के नाम वन अधिकार हस्तांतरण संबंधी प्रावधान वन अधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 में उल्लेखित नहीं है। जिसके कारण वंशजों को वन अधिकारों के हस्तांतरण में समस्या आ रही थी। अतः इन समस्याओं के निराकरण हेतु पहली बार राज्य सरकार द्वारा राजस्व एवं आपदा प्रंधन विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु /फौत होने पर विधिक वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण एवं राजस्व/वन अभिलेखों में दर्ज करने और अन्य भूमि संबंधी कार्यवाही हेतु की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया दिनांक 15.07.2024 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) के गठन की कार्यवाही की जा रही है। माह सितंबर, 2024 की स्थिति में 4,377 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्य ग्रामसभाओं में से 2081 ग्रामसभाओं में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति (CFRMC) का गठन किया जा चुका है।

सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में 02 प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 27–28 जून, 2024 (आजीविका संवर्धन के लिए वन प्रबंधन और संरक्षण योजना पर हितधारक परामर्श कार्यशाला) एवं 24–26 सितंबर, 2024 (सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति के गठन एवं कार्ययोजना निर्माण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण) को किया गया था।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा–जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) की जारी दिशा–निर्देशों में भी वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण विषय है। जिसके तहत वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन पर शासकीय विभागों, अशासकीय एवं सामुदायिक संस्थाओं के साथ परामर्श/विचार–विमर्श हेतु एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 06.01.2025 को न्यू सर्किट हाऊस, रायपुर में किया गया था, जिसमें संबंधित विभागों, अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि, वन अधिकार अधिनियम क्रियान्वित जिलों के सहायक आयुक्त एवं जिला स्तरीय एफआरए सेल में कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक प्रतिभागी के रूप में उपस्थित थे। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य के संबंध में अवगत कराया कि विचार–विमर्श एवं परिचर्चा के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों एवं अवसरों को समझना तथा सहभागिता के माध्यम से इन समस्याओं का निवारण करते हुए क्रियान्वयन को त्रुटिरहित करना इस कार्यशाला का उद्देश्य है। इसके साथ ही सामुदायिक वन संसाधन के प्रबंधन विषय पर भी रोड मैप तैयार करना है।

राज्य में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन रायपुर, दुर्ग एवं बेमेतरा को छोड़कर शेष 30 जिलो में किया जा रहा है। प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़, देश में विभिन्न वन अधिकारों की मान्यता देने में अग्रणी राज्य है।

OOOOO

अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना -

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :–

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :–

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे–कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक बजट में राशि रू. 34236.6636 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक बजट में राशि रू. 10574.2767 करोड़ अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है।

OOOOO

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा द्वारा आई.आई.टी. भिलाई में आयोजित SC/ST/OBC महिला समूह की बाजार संबंधी साक्षरता जानकारी पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया गया एवं विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी साझा की गई :

भाग - चार

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित भवन एवं संग्रहालय

महामहिम राज्यपाल माननीय श्री रमेन डेका द्वारा टीआरटीआई द्वारा प्रकाशित 03 पुस्तकों - ''आदिनारी : आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा, पोड़दगुमा पेन करसाड़ एवं वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका'' का विमोचन किया गया एवं इसकी प्रथम प्रति महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भेंट की गई।

इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री माननीय श्री अरूण साव, सांसद, बिलासपुर माननीय श्री तोखन साहू (केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री) सांसद, रायपुर माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं विभागीय मंत्री माननीय श्री रामविचार नेताम उपस्थित थे।

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिचय :-

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, रीति–रिवाज, रहन–सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई।

संस्थान के प्रमुख कार्य :-

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :–

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय–विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 20.11.2024) की स्थिति में संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. नृजातीय अध्ययन

राज्य के विभिन्न समुदाय जो अधिसूचित जातियों मे सम्मिलित नहीं हो पायी है। उनके द्वारा समय–समय पर जाति समुदाय को भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने हेतु अभ्यावेदन दिये जाते है। उक्त क्रम में राज्य शासन से प्राप्त अनुशंसा के परिपालन में संस्थान द्वारा जाति समुदाय का नृजातीय बिन्दुओं के आधार पर नृजातीय परीक्षण अध्ययन किया जाकर मय अभिमत राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है।

उक्त क्रम में संस्थान द्वारा राज्य शासन को प्रेषित अध्ययन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

1. संसारी, सनसारी, सन्सारी उरांव को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में।
2. डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संबंध में।
3. डोमरा को अनुसूचित जाति में शामिल करने के संबंध में।

2. व्यैक्तिक अध्ययन

संस्थान द्वारा राज्य में निवासरत जनजातीय समुदायों में मधुमक्खी पालन करने वाले लाभान्वित हितग्राहियों में आजीविका की संभावनाओं को ज्ञात करने एवं मधुमक्खी पालन से आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे लाभान्वित जनजातीय परिवारों/व्यक्तियों का व्यैक्तिक अध्ययन (Case Study) का कार्य किया जाकर ''अनुसूचित जनजातियों में मधुमक्खी पालन'' पुस्तिका तैयार कर प्रकाशित की गई है।

3. प्रकाशन

1. संस्थान द्वारा राज्य की आदिवासी महिलाओं की गौरवपूर्ण स्थिति, उनके योगदान एवं समर्पण को गर्व के साथ प्रदर्शित करने आदिवासी महिलाओं को समर्पित ''आदि नारी : आदिवासी महिलाओं की अस्मिता और गौरव गाथा'' विषय पर पुस्तिका जो कि राज्य की 10 जनजातीय समुदाय की महिलाओं पर आधारित है, तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से विमोचन कराया गया।
2. अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2007 यथा संशोधित नियम, 2012 पुस्तिका तैयार की गई।
3. वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शिका तैयार किया गया जिसका विमोचन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के करकमलों द्वारा किया गया।
4. सिकल सेल एनीमिया के परामर्श एवं जागरूकता मॉड्यूल का गोंडी एवं हलबी संस्करण में तैयार किया गया। उक्त मॉड्यूल का विमोचन विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन के करकमलों द्वारा किया गया।

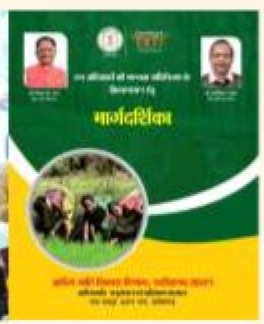

4. अभिलेखीकरण

पोड़दगुमा पेन करसाड़–उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ परगना के ग्राम टेमरूपानी में गोंड़ समुदाय के कोर्राम, कचलाम, जर्री, जट्टी, कातो, वेड़दो एवं उइका गोत्रों के ईष्ट देव के करसाड़ (महाकुम्भ) जो की सात वर्षों में एक बार भव्य रूप से आयोजित किया जाता है का अभिलेखीकृत पुस्तिका ''पोड़दगुमा पेन करसाड़'' तैयार की गई, उक्त पुस्तिका का विमोचन महामहिम राष्ट्रपति महोदया के करकमलों द्वारा किया गया।

5. जनजातीय गौरव दिवस

स्वतन्त्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयन्ती के उपलक्ष्य में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदानों को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 नवम्बर साईस कॉलेज मैदान रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास, आजीविका एवं उधमिता, कला संस्कृति एवं धरोहर, शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ एवं जीवनशैली विषय को केन्द्रित कर 02 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम अंतर्गत आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजो एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रो में योगदान देने वाले जनजातीय नायको का सम्मान, राज्य की जनजातीय आदिवासी सांस्तिक विविधता को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना, जनसामान्य के बीच जनजातीय अधिकारों और उनके सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूकता लाना, जनजाति विकास की वर्तमान दशा, दिशा, संभावनाओं एवं चुनौतियों पर विचार मंथन का अवसर प्रदान करना जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है।

उक्त कार्यक्रम में राज्य के जनजातीय समुदाय कि विभिन्न पहलुओं पर आधारित 10 विषयों पर दो दिवसीय संगोष्ठी / परिचर्चा का आयोजन किया गया। जिसमें जनजातीय संस्कृति, संरक्षण, संवर्धन एवं विकास, जनजातीय विधार्थियों के करियर निर्माण संबंधी विभिन्न संभावनाएं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में जनजातीय नायकों का योगदान, जनजातीय समुदायों के युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, जनजातीय चित्रकला के प्रायोगिक पक्ष एवं संभावना, जनजातीय ज्ञान परम्परा, जनजातीय समुदाय पर्यावरण संरक्षण वैश्विक परिपेक्ष मे, भारतीय सभ्यता के मूल में जनजातीय समाज, वन अधिकार अधिनियम, क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ, जनजातीय क्षेत्रों में चुनौतियां और समाधान विषयों पर राज्य एवं अन्य राज्यों के 28 विषय विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार जनसामान्य, विद्यार्थियों, अध्येताओं के समक्ष रखा गया।

उक्त कार्यक्रम में उपरोक्त 10 विधाओं पर राज्य एवं अन्य राज्यों के साहित्यकारों, जनजातीय जनप्रतिनिधियों एवं विधाओं का ज्ञान रखने वाले कुल 28विशेषज्ञों द्वारा भाग लेकर अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा उक्त कार्यक्रम में कुल 377 प्रतिभागी सम्मिलित रहे।

6. चित्रकला प्रतियोगिता

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिनांक 13—15 नवम्बर को 03 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन साईंस कॉलेज ग्राउण्ड रायपुर में किया गया। उक्त प्रतियोगिता में 12—18 आयु वर्ग के कलाकारों द्वारा ड्राईंग शीट में एवं 18—30 एवं 30 से अधिक आयु वर्ग के कलाकारों द्वारा कैनवास में चित्रकारी की गई।

प्रतियोगिता मे कुल 496 प्रतिभागियों/कलाकारों की सहभागिता रही। जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग में उत्कृष्ठ चित्रकारों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

7. पुस्तक प्रदर्शनी

संस्थान द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिनांक 13—15 नवम्बर तक साईंस कॉलेज मैदान रायपुर में 02 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी हेतु स्टॉल लगाया गया। उक्त स्टॉल में आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जनजातीय संस्कृति, विशिष्टता, लोक परम्परा, वाद्ययंत्र आदि पहलुओं पर अनुसंधानिक प्रकाशित पुस्तकों की प्रदर्शनी सह विक्रय हेतु पुस्तकों की प्रदर्शनी लगायी गयी। उक्त दो दिवसों में पुस्तक स्टॉल में सभी आयु वर्ग के जनसामान्य, विद्यार्थियों, अध्येताओं, जनजातीय सदस्यों की विशेष रूची दिखाई दी तथा प्रदर्शनी के माध्यम से 141 पुस्तकों का विक्रय किया गया।

8. जनजातीय बोलियों का संरक्षण एवं संवर्धन

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्थानीय बोलियों को संवर्धित व संरक्षित करने के उद्देश्य से Artificial Intelligence App तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया है। तत्संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य की गोंड़ी बोली के वाक्यों को हिन्दी व गोंड़ी बोली में (लगभग 50,000 वाक्यों) रूपांतरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस हेतु कांकेर क्षेत्र की गोंडी बोली में अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया।

उक्त Artificial Intelligence App तैयार किये जाने के क्रम में संस्थान द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रायपुर (SCERT) एवं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नवा रायपुर (IIIT) के सहयोग से आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर द्वारा कांकेर क्षेत्र के गोंडी बोली के विशेषज्ञों की कार्यशाला का आयोजन कर वर्तमान में लगभग 39743 हिन्दी से गोंड़ी वाक्यों का अनुवाद किया जा चुका है। जनजातीय दैनिक जीवनोपयोगी विशियों जैसे सामाजिक संरचना, आवागमन के साधन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, कृषि संबंधी वाक्य, सामान्य दैनिक शब्दावली के वाक्य, शैक्षणिक संस्थान (स्कूल) संबंधी, कम्प्यूटर एवं मोबाईल ज्ञान, पुष्प, समाचार पत्र, जीवन एवं सुविचार, ग्राम संबंधी, पुलिस विभाग संबंधी, राजस्व विभाग से संबंधित, आर्थिक जीवन स्तर से संबंधित, आबकारी विभाग से संबंधित, धार्मिक जीवन से संबंधित, यातायात से संबंधित आदि के हिन्दी वाक्यों के साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार दिये गये मान. प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति के स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसरों पर भाषणों व संदेशों का गोंडी अनुवाद एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ''मन की बात'' कार्यक्रम अंतर्गत संवादों कीप्रसारित कड़ी अनुसार गोंडी बोली में अनुवाद कार्य किया निरंतर किया जा रहा है।

9. शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय

संस्थान द्वारा भारत सरकार, जनजातीय कार्यमंत्रालय के सहयोग से 9.75 एकड़ भूमि पर शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त संग्रहालय में 1857 की सोनाखान क्रांति एवं समय–समय पर आदिवासियों द्वारा किये गये विद्रोहों को 15 गैलरियों में प्रदर्शित किये जाने की कार्ययोजना पर कार्य किया गया है।

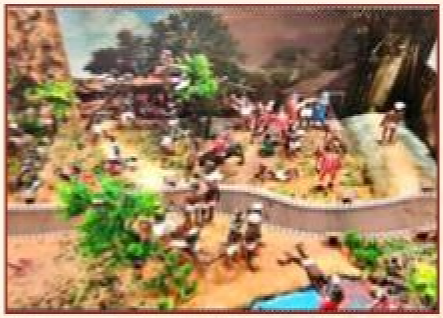

गैलिरियों के निर्माण हेतु संबंधित गैलरियों की स्ओरी लाईन तैयार किये जाने का कार्य संपादित कर समय–समय पर ''राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति'' के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा गया। तद्नुसार विद्रोहों के आदमकद मूतियों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है।

10. राज्य आदिवासी संग्रहालय

शासन द्वारा राज्य की जनजातीय संस्कृति को जनसामान्य से अवगत कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में राज्य आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। उक्त संग्रहालय में जनजातीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं यथा, जीवन संस्कार, आर्थिक जीवन–कृषि, वनोपज, संकलन, मत्स्याखेट, शिकार आदि, सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, विशिष्ट संस्कृति, परम्परागत तकनीक आदि को मूर्तिकला, चित्रकला के साथ–साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं (आर्टिफेक्ट) का प्रदर्शन 14 गैलरियों के माध्यम से किया जाना है। तत्संबंध में आदिवासी संग्रहालय में गैलरीवार विषयवस्तु निर्माण, प्रतिमाओं एवं गैलरियों में रखे जाने वाले आर्टिफेक्ट्स के वर्गीकरण संबंधित कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे है।

11. जाति परीक्षण एवं अन्य परीक्षण अध्ययन

पी.एम.जनमन की योजनाओं के लाभान्वयन के दृष्टिगत जिला बालोद के डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम सिंघोला के पारा सुकड़ीगुहान में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार निवासरत होने की सूचना पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास हेतु संचालित व आगामी योजनाओं में लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से बालोद जिले के उक्त परिवारों के संबंध में आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर से जांच/परीक्षण प्रतिवेदन की अपेक्षा की गई है।

तत्संबंध में क्षेत्रकार्य के माध्यम से 31 परिवारों के सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि पक्षों का परीक्षण कमार जनजाति के पूर्व प्रकाशित अध्ययनों एवं सामाजिक–सांस्कृतिक विशिष्टताओं के आधार पर किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य के चिहिन्त जिले व क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रदाय की जाने वाली प्री–मैट्रिक एवं पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में आंकड़े चाहे गये थे। उक्त तारतम्य में संस्थान द्वारा गरियाबंद जिले के शहरी एवं नगरीय क्षेत्र में संचालित माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकण्ड्री एवं महाविद्यालय में जाकर छात्रवृत्ति संबंधी आंकड़े प्राप्त करते हुए छात्रवृत्ति से वंचित होने के कारणों सचित प्रतिवदेन तैयार करते हुए निर्देशानुसार गुगल सीट फार्म में भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया गया है।

12. अन्य राज्यों में सहभागिता

डॉ. रामदयाल मुण्डा ट्रायबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टिट्यूट रांची, झारखण्ड द्वारा 9–10 अगस्त 2024 तक दो दिवसीय झारखण्ड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें समृद्ध और विविध आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाया गया। उक्त महोत्सव में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए सरगुजा संभाग के 25 सदस्यीय उरांव करमा दल द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई।

○○○○○

नियद नेल्लानार योजना

नियद नेल्लानार ''आपका आदर्श ग्राम'' है। यह योजना राज्य के 05 जिलों क्रमशः बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा नारायणपुर एवं कांकेर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 96 अनुसूचित जनजाति बाहुल्यग्रामों के विकास हेतु शासन की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के फलस्वरुप जनता का शासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

विभाग द्वारा इस योजना में उक्त जिलों के इन ग्रामों के विद्यार्थियों हेतु 12 छात्रावासों में 600 सीटों की वृद्धि की गई है एवं वन अधिकार की मान्यता के अंतर्गत इन ग्रामों के निवासियों से 2200 से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों के निराकरण की कार्यवाही की जा रही है तथा 34 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरण किये गये हैं।

नियद नेल्लानार योजना है क्या -

नियद नेल्लानार से तात्पर्य "आपका आदर्श ग्राम" है अर्थात् ऐसा ग्राम जहां पर निवासरत जनसंख्या को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और अब वह अन्य क्षेत्रों की तरह विकास के पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा भी था ''कि यदि देश का विकास करना है, तो सर्वप्रथम ग्रामों को विकास करना होगा''। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों क्रमशः सुकमा, बीजापुर, दंतेवाडा, नारायणपुर एवं कांकेर में नियद नेल्लानार योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसमें इन जिलों के कुल 8 विकासखंडो में कुल 43 सुरक्षा कैंपो के आसपास के कुल 18 ग्रामों का विकास किया जाना है। इन सुरक्षा कैंपो के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्रामों में विभिन्न विभागों की योजनाएं संचालित कर इन ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं और शासन द्वारा संचालित व्यक्तिमूलक योजनाओं का सेचुरेशन किया जाना है।

योजनांतर्गत प्रथम चरण में चिन्हांकित विकासखंडो में स्थापित कैंपो के अंतर्गत शामिल ग्रामों में दो गतिविधियों–वन अधिकार सेचुरेशन एवं जिला/ब्लॉक स्तर पर आवासीय विद्यालय की स्थापना किया जाना है।

वनाधिकार सेचुरेशन के अंतर्गत लक्षित क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में अब तक कुल 595 व्यक्तिगत, 178 सामुदायिक एवं 40 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके हैं। इसके अलावा मई माह में 10 दिवसीय अभियान के अंतर्गत लगभग 2593 नए आवेदन प्राप्त किये गए जिस पर जल्द से जल्द कार्यवाही कर वनाधिकार देना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित ना रहे।

नियद नेल्लार योजना अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों के विद्यार्थियों हेतु गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला/ब्लॉक में स्थापित आवासीय विद्यालय एवं आवश्यकतानुसार नए आवासीय विद्यालय स्थापित कर विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करना विभाग की इस योजना अंतर्गत एक प्रमुख दायित्व है। वर्तमान में लक्षित जिलों में कुल 79 प्री मैट्रिक छात्रावास, 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 249 आश्रम व 8 EMRS शालाएं मौजूद हैं। सर्वे अनुसार योजना अंतर्गत क्षेत्रों में विभिन्न शालाई स्तर पर लगभग 5866 शाला जाने योग्य विद्यार्थी हैं जिनमें से 4510 (76 प्रतिशत) वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं में अध्यनरत हैं जबकि 880 विधार्थी अभी भी शालाओं में अध्यनरत नहीं हैं।

योजना क्षेत्रों में शालाओं में प्रवेश संख्या बढाने की दिशा में विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया गया जिसमे लक्षित ग्रामों के बच्चों और पालकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए EMRS शालाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा प्रदान की गयी जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे EMRS में दाखिला ले सकें। इसके अलावा बच्चों की संख्यां को देखते हुए प्रथम चरण में कुल 24 नए आवासीय विधालयों की प्रस्तावना रखी गयी है।

पीएम जनमन योजना

पीएम जनमन अर्थात प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिनांक 15 नवंबर 2023 को किया गया है। इसका मुख्य उददेश्य पीवीटीजी समुदाय का संर्वागीण विकास करना है। इस अभियान में राज्य के 18 जिलों के कुल 2121 ग्रामों की 2160 बसाहटों में 59758 पीवीटीजी परिवारों को संतृप्त मोड में स्वीकृत गतिविधि अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।

यह अभियान 09 संबंधित मंत्रालयों के 11 महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे :– 1. पक्के घर का प्रावधान 2. संपर्क सड़के 3. दवा लागत सहित मोबाईल मेडिकल यूनिट 4. छात्रावासों का निर्माण 5. पाईप से जलापूर्ति एवं सामुदायिक जलापूर्ति 6. आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन 7. वनधन केन्द्रों की स्थापना 8. बहु–उद्देशीय केन्द्रों का निर्माण 9. अविद्युतिकृत घरों का विद्युतीकरण एवं ऑफ ग्रिड सौर उर्जा का प्रावधान एवं सड़कों एवं बहुउद्देशीय केन्द्रों हेतु सौर प्रकाश व्यवस्था 10. मोबाईल टॉवर की स्थापना 11. व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, जोपीवीटीजी बसाहटों के लक्षित ग्रामों में संचालित होगा।

इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की संतृप्ति (Beneficiaries Saturation) हेतु आई.ई.सी. कैम्पेन के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन, पीएम मातृ वंदना, वन अधिकार, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड इत्यादि गतिविधियों की संतृप्ति की जा रही है। इस अभियान अंतर्गत अब तक 2244 आवास बनाये जा चुके है। 328 संपर्क सड़को का निर्माण प्रगति पर है। 455 बसाहटों के 4340 परिवारों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 07 वनधन विकास केन्द्र भी संचालित किये जा रहे है।

अभियान अंतर्गत अब तक पीवीटीजी सदस्यों को 29064 आधार कार्ड, 69741 आयुष्मान कार्ड, 8431 किसान क्रेडिट कार्ड, 33201 जनधन खाता, 21896 जाति प्रमाण पत्र, 20994 किसान सम्मान निधि पंजीयन, 6253 प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन एवं 23544 राशन कार्ड के माध्यम से लाभान्वित किया गया है।

कुल मिलाकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों एवं उनकी बसाहटों का संपूर्ण विकास करना ही इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इन सभी गतिविधियों का क्रियान्वयन मिशन मोड में तीन वर्ष की अवधि में पूर्ण कर सभी बसाहटों को आवश्यकतानुसार अधोसरंचनात्मक रूप से सुदृढ़ बनाना है।

प्रधानमंत्री जनमन ग्रामीण आवास योजना

प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 02 अक्टूबर 2024 को किया गया है। यह अभियान वर्ष 2024–25 से 2028–29 (5 वर्ष) तक संचालित होगा। इस अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 02 अक्टूबर को जिला बलरामपुर–रामानुजगंज में आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिलान्यास सहित जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था विकासखण्ड राजपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल ग्राउंड बूढ़ाबगीचा में की गई।

इस अभियान से राज्य के 32 जिलों के 6691 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम लाभान्वित होंगे।

इस अभियान के अन्तर्गत 17 मंत्रालयों की 25 योजनाओं / गतिविधि के माध्यम से पक्के घर, जल आपूर्ति, घरो का विद्युतिकरण, नई सौर उर्जा योजना, मोबाईल चिकित्सा इकाईयां, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना, हॉस्टल, पोषण वाटिकाएं, एलपीजी कनेक्शन, भारत नेट स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल पहल, सतत कृषि को बढ़ावा, मछली पालन सहायता, पशुधन पालन, क्षमता निर्माण, PMAAGY, ट्रायबल होम स्टे आदि गतिविधियां लक्षित ग्रामों में संचालित होगी।

OOOOO

उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिये गये मार्गदर्शी निर्देश एवं छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम 2013 में विहित प्रावधानों के अनुसार छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) क्रमांक–285 रायपुर, मंगलवार दिनांक 09 जुलाई 2024 में जारी अधिसूचना के द्वारा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति का पुनर्गठन किया गया है।

छानबीन समिति के गठन से लेकर वर्ष 2024 तक छानबीन समिति द्वारा कुल 711 प्रकरणों पर आदेश पारित किए गए है, जिनमें से 334 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र सही पाए गए (शिकायतें गलत पाई गई) एवं 377 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र गलत/फर्जी पाए गए (शिकायतें सही पाई गई)।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में श्री सोनमणी बोरा, प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा 06 बैठकें संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर अटल नगर के प्रतिकक्ष में आयोजित की गई।

समिति के अन्य सदस्यों के रूप में श्री नरेन्द्र दुग्गा, सदस्य सह आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास, श्री पी.एस.एल्मा, सदस्य सह संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्री रमेश शर्मा/श्री विनीत नंदनवार, सदस्य सह संचालक, भू–अभिलेख, श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, सदस्य सह संचालक, लोक शिक्षण, श्रीमती रमा उइके, सदस्य सह सहायक अनुसंधान अधिकारी, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं डॉ. अनिल विरूलकर, सदस्य सह सहायक अनुसंधान अधिकारी, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान शामिल रहे।

भाग - पाँच

फ्लैगशिप योजनाएँ

राजीव युवा उत्थान योजना

उद्देश्य :- पूर्व में यह योजना युवा कैरियर निर्माण योजना के नाम से संचालित था। योजना अंतर्गत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, छ.ग. व्यापम तथा अन्य संस्थानों द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पात्रता रखने वाले प्रतिभावान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। इसके तीन घटक है :–

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु :- देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए राजीव युवा उत्थान योजन के तहत् द्वारका, नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। इस योजना अंतर्गत वर्श 2024–25 में 135 सीटों का वृद्धि किया जाकर कुल 200 सीट्स स्वीकृत है जिसमें ड्रापर/रिपीटर बैच हेतु 15 सीट शामिल है। वर्ष 2023–24 में योजना के माध्यम से कुल 53 अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है। अब तक कुल 129 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित हुए है। वर्ष 2024–25 में अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपलब्धियाँ :-

वर्ष	भौतिक लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य	वित्तीय उपलब्धि
I	II	III	IV	V
2020–21	50	44	99.10	60.46
2021–22	50	50	70.38	65.34
2022–23	50	50	189.21	170.78
2023–24	65	53	176.92	172.25

छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी :- राजीव युवा उत्थान योजना के तहत् छ0ग0 राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 100 सीटे स्वीकृत है, जिसमें 50 सीट जिला रायपुर तथा 50 सीट जिला दुर्ग हेतु निर्धारित है।

क्र.	जिला	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
01	रायपुर	2021–22	31.19	100
02		2022–23	35.21	
03		2023–24	21.22	50
04		2024–25	21.22	50
01	दुर्ग	2018–19	21.06	41
02		2023–24	21.22	50
03		2024–25	21.22	50

एस.एस.सी., बैंकिंग, रेल्वे तथा व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयारी :- राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत संचालित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें बैकिंग, रेल्वे, व्यापम तथा एस.एस.सी. जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जिला मुख्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, नारायणपुर एवं कबीरधाम में कराया जाता है। योजना अंतर्गत प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100–100 सीट इस प्रकार कुल 500 सीट्स स्वीकृत है। वर्ष 2023–24 से सभी 05 केन्द्रों में 6–6 माह के दो सत्र संचालित किये गये, इस तरह 1000 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया। यह कोचिंग पूर्णतः आवासीय है।

क्र.	प्रशिक्षण केन्द्र	वर्ष	व्यय	लाभान्वित
01	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर	2018–19	36.11	100
02		2019–20	27.68	100
03		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
04		2021–22	–	–
05		2022–23	39.62	100
06		2023–24	41.30	100
06	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर	2018–19	13.88	100
07		2019–20	20.15	100
08		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
09		2021–22	–	–
10		2022–23	42.30	100
11		2023–24	43.80	100
11	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर	2018–19	9.76	100
12		2019–20	38.60	100
13		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
14		2021–22	–	–
15		2022–23	53.35	100
16		2023–24	55.90	100
16	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, कबीरधाम	2018–19	20.61	100
17		2019–20	29.61	100
18		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
19		2021–22	–	–
20		2022–23	52.25	100
21		2023–24	53.85	100
21	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, नारायणपुर	2018–19	15.85	100
22		2019–20	41.20	100
23		2020–21	कोरोना संक्रमण के कारण कोचिंग कार्य संचालित नहीं किया जा सका	
24		2021–22	–	–
25		2022–23	57.10	100
26		2023–24	57.45	100

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति प्री0मेडिकल तथा प्री0 इंजिनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना :- विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 100 (अनुसूचित जनजाति–64, अनुसूचित जाति–36) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर उत्तीर्ण है तथा ड्राप लेकर प्री.इंजीनियरिंग एवं प्री.मेडिकल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, के लिए यह योजना बनाई गई है।

उपलब्धियाँ :-

वर्ष	लाभान्वित अभ्यर्थियों की संख्या	मेडिकल तथा इंजीनियरिग कॉलेजो में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या		व्यय राशि
		NEET	JEE	
1	2	3	4	5
2021–22	91	15	05	77.17
2022–23	99	23	09	64.72
2023–24	100	21	00	123.95

अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010–11 में प्रारंभ की गई। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :–

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपये 1,00,000 / – (रूपये एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण–पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरांत नियमानुसार आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. रायपुर द्वारा स्वीकृत किया जाकर एक मुश्त राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

उपलब्धियाँ :-

क्र.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
01	2021–22	01	01
02	2022–23	01	–
03	2023–24	01	02
04	2024–25	01	02

ooooo

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना

छत्तीसगढ़ राज्य के सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर–अनुसूचित क्षेत्र में स्थित नक्सल प्रभावित (LWE) जिलों के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर उनके जीवन में स्थायित्व पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

छत्तीसगढ़ राज्य में जब वामपंथ उग्रवाद चरमावस्था पर था और जिसके कारण जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए, फलस्वरूप विद्यार्थियों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो इसीलिए तत्कालीन समय में कई महत्वपूर्ण कदम राज्य शासन ने उठाया था। इसी क्रम में छ. ग. राज्य के तत्कालीन संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने दिनांक 26 जुलाई 2010 में

वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना लागू की गई।

मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्न घटक आस्था, प्रयास एवं सहयोग संचालित है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **आस्था** - नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए दंतेवाड़ा जिले में आस्था गुरूकुल आवासीय विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में कक्षा 01 से 12वीं तक अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन, खेल एवं मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान की जाती है।

2. **प्रयास** - नक्सल प्रभावित क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सक्षम बनाकर व्यावसायिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कराकर उनकी जीवन में स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2010 में राजधानी रायपुर में 200 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया था। इन विद्यालयों में निजी कोचिंग संस्थाओं को ''रूचि की अभिव्यक्ति'' के माध्यम से चयन कर अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी प्रारंभ से ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जागरूक होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। वर्तमान में राज्य में कुल 15 प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है।

वर्तमान में प्रयास आवासीय विद्यालयों की संख्या 15 हो चुकी है। जिनका विवरण निम्नानुसार है –

क्र.	जिला	प्रयास आवासीय विद्यालय जहाँ संचालित हैं	विषय	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत सीट संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या		
						बालक	कन्या	योग
1	रायपुर	बालक विद्यालय सड्डू, रायपुर	गणित समूह	2010	800	690	–	690
2	रायपुर	कन्या विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	जीवविज्ञान समूह	2012	620	–	525	525
3	बस्तर	सहशिक्षा विद्यालय जिला बस्तर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2013	500	274	183	453
4	सरगुजा	सहशिक्षा विद्यालय जिला सरगुजा	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2013	500	280	197	477

5	दुर्ग	सहशिक्षा विद्यालय, जिला दुर्ग	बालक–जीवविज्ञान समूह कन्या–गणित समूह	2014	500	279	191	470
6	बिलासपुर	सहशिक्षा विद्यालय जिला बिलासपुर	बालक–वाणिज्य समूह कन्या–कला समूह (क्लेट)	2014	500	267	188	455
7	कांकेर	सहशिक्षा विद्यालय जिला कांकेर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2015	400	184	191	375
8	कोरबा	सहशिक्षा विद्यालय जिला कोरबा	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2018	400	175	184	359
9	जशपुर	सहशिक्षा विद्यालय जिला जशपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2018	400	193	197	390
10	बालोद	सहशिक्षा विद्यालय जिला बालोद	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2022	250	141	94	235
11	दुर्ग	नवीन प्रयास (अनु. जाति) बालक आवासीय विद्यालय, पाटन, जिला दुर्ग	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	250	158	–	158
12	रायपुर	नवीन प्रयास (अनु. जाति) कन्या आवासीय विद्यालय, जिला रायपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	250	–	154	154
13	रायपुर	नवीन प्रयास (अ.पि. वर्ग) बालक आवासीय विद्यालय, जिला रायपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	250	201	–	201
14	बिलासपुर	नवीन प्रयास (अ.पि. वर्ग) कन्या आवासीय विद्यालय, जिला बिलासपुर	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2023	250	–	216	216
15	रायगढ़	सहशिक्षा विद्यालय जिला रायगढ़	गणित तथा जीवविज्ञान समूह	2024	125	49	47	96
		योग			5995	2891	2367	5254

कक्षा-10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम वर्ष 2017 से अब तक -

क्र.	सत्र	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	परीक्षा में शामिल विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	परिणाम प्रतिशत में
1	2017	सहशिक्षा विद्यालय विद्यालय, कांकेर	93	73	18	100%
2	2018	सहशिक्षा विद्यालय, कांकेर	86	79	05	97.6%
3	2019	सहशिक्षा विद्यालय, कांकेर, रायपुर	307	301	06	100%
4	2020	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1011	997	11	99.7%
5	2021	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1029	1029	00	100%
6	2022	कोविड–19 के कारण	–	–	–	–
7	2023	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1043	946	71	97.50%
8	2024	सहशिक्षा विद्यालय कांकेर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर, बस्तर, कोरबा तथा जशपुर	1014	978	29	99.3%

कक्षा-12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम प्रारंभ से अब तक -

सत्र/वर्ष	प्रयास आवासीय विद्यालय का नाम	परीक्षा में शामिल विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	परिणाम प्रतिशत में
2012	बालक प्रयास सडड्, रायपुर	250	171	75	100%
2013	बालक प्रयास सड्डू, रायपुर	137	134	03	100%
2014	प्रयास कन्या गुढ़ियारी, रायपुर	272	225	40	98%
2015	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर	408	390	17	100%
2016	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	725	646	78	100%
2017	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	690	624	57	99.27%
2018	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर एवं जगदलपुर	701	653	43	99.43%
2019	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, एवं जगदलपुर	783	703	63	97.80%
2020	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर एवं कांकेर	792	710	50	98%
2021	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, एवं कांकेर	831	829	00	99.60%
2022	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, तथा जशपुर	979	852	87	95.91%
2023	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, तथा जशपुर	907	720	154	96.58%
2024	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, कांकेर, कोरबा, तथा जशपुर	1007	826	133	97.22%

वर्ष 2023-24 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	परिणाम प्रतिशत में
1	प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, रायपुर	174	173	01	100%
2	प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर	132	130	02	100%
3	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, दुर्ग	118	111	04	97.5%
4	प्रयास बालक/कन्या आवासीय, विद्यालय बिलासपुर	91	86	03	97.8%
5	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, अंबिकापुर	119	111	06	98.32%
6	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जगदलपुर	113	112	01	100%
7	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कांकेर	91	84	07	100%
8	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, जशपुर	95	94	01	100%
9	प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालय, कोरबा	81	77	04	100%
	योग	**1014**	**978**	**29**	**99.3%**

प्रयास आवासीय विद्यालय के कक्षा 10वीं में मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची (वर्ष 2023-24)

क्र.	विद्यार्थी का नाम	वर्ग	विद्यालय का नाम	मेरिट में रैंक	प्रतिशत
1	श्री मयंक कोर्राम	अ.ज.जा	प्रयास कांकेर	7th	97.67%
2	कु. पायल अधिकारी	अ.ज.जा	प्रयास कांकेर	7th	97.67%
3	कु. आर्या कश्यप	अ.ज.जा	प्रयास दुर्ग	9th	97.33%
4	कु. वर्षा साहू	अ.पि.वर्ग	प्रयास कांकेर	9th	97.33%
5	श्री आयुष साहू	अ.पि.वर्ग	प्रयास जशपुर	10th	97.17%
6	कु. बॉबी मिंज	अ.ज.जा	प्रयास कन्या रायपुर	10th	97.17%
7	कु. मल्लिका मरकाम	अ.ज.जा	प्रयास कांकेर	10th	97.17%

वर्ष 2023-24 में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	सम्मिलित विद्यार्थी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	प्रतिशत
1	प्रयास बालक सड्डू, रायपुर	166	95	52	10	94.58%
2	प्रयास कन्या गुढ़ियारी, रायपुर	128	125	03	0	100%
3	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, दुर्ग	108	86	13	0	91.67%
4	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, बिलासपुर	114	105	08	0	99.12%
5	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय अंबिकापुर	112	100	08	0	96.4%
6	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, जगदलपुर	109	83	21	0	95.41%
7	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, कांकेर	89	75	09	0	94.4%
8	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, कोरबा	86	63	18	0	94.19%
9	प्रयास सहशिक्षा विद्यालय, जशपुर	95	94	01	0	100%
	योग	**1007**	**826**	**133**	**10**	**97.22%**

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित/सफल विद्यार्थियों का विवरण :-

वर्ष	बैच	आईआईटी व समकक्ष	एनआईटी व समकक्ष	इंजीनियरिंग कॉलेज	एम.बी.बी.एस.
2010–12	पहला	2	12	130	–
2011–13	दूसरा	1	20	45	1
2012–14	तीसरा	0	8	81	3
2013–15	चौथा	6	7	84	3
2014–16	पांचवा	6	30	92	12
2015–17	छठंवा	8	40	96	8
2016–18	सांतवा	18	17	85	–
2017–19	आठंवा	11	41	82	8
2018–20	नौवा	18	51	77	4
2019–21	दसवां	27	35	61	5
2020–22	ग्यारहवां	10	44	63	3
2021–23	बारहवां	9	23	24	5
2022–24	तेरहवां	6	28	20	18
	योग	**122**	**356**	**960**	**70**

योजनांतर्गत विभाग द्वारा सफल छात्र–छात्राओं को निम्न सुविधाएँ / प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है –

I. प्रयास विद्यालय के आई.आई.टी. में प्रवेशित विद्यार्थियों को 40 हजार रूपए प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रोत्साहन स्वरूप आगामी शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिया जाता है।

ii. IIT, NIT, IIIT, MBBS में प्रवेशित विद्यार्थियों को लैपटॉप / लैपटॉप हेतु राशि प्रदान किया जाता है।

3. **सहयोग** - बाल भविष्य सुरक्षा योजना के इस घटक अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, ताकि उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सके। अनाथ बच्चों को पोस्ट–मैट्रिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई के दौरान शिक्षण शुल्क एवं आने–जाने के व्यय आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

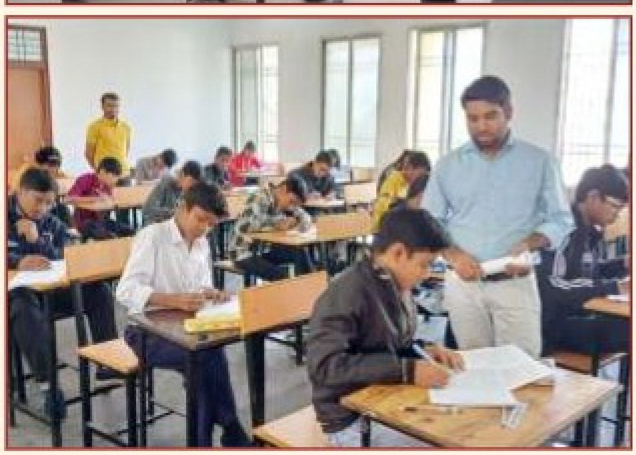

आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षको के पद रिक्त रह जाते है क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500–500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षको की पूर्ति हेतु वर्ष 2013–14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है।

इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटे है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे है। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।

योजना अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने ने स्नातक–स्नाकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदो पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्गदर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2024–25 में जिला दुर्ग में 500 बालिकाएं प्रवेशित है तथा जिला जगदलपुर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र में 207 बालक प्रवेशित है। वर्ष 2024–25 में राशि रूपये 300.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला- दुर्ग एवं (बालक) जिला- जगदलपुर							
क्र.	जिला	वर्ष	नवीन प्रवेशित (प्रथम वर्ष)		नवीनीकरण की संख्या		कुल अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की संख्या
			छात्र	छात्राएं	छात्र	छात्राएं	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुर्ग	2021–22	–	159	–	291	450
2		2022–23	–	150	–	332	482
3		2023–24	–	93	–	382	475
4		2024–25	–	223	–	277	500
1	जगदलपुर	2021–22	63	–	80	–	143
2		2022–23	46	–	118	–	174
3		2023–24	52	–	80	–	132
4		2024–25	75	–	132	–	207

वर्ष 2024-25 में विभिन्न पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र-छात्राएं

जिला - दुर्ग

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
गणित	विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी	एम.कॉम		
86	133	75	60	20	126	500

जिला - जगदलपुर

स्नातक			स्नातकोत्तर		बी.एड.	योग
गणित	जीव विज्ञान	वाणिज्य	एम.एस.सी	एम.कॉम		
47	80	37	34	07	2	207

OOOOO

अन्य योजनाएं

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

यह भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित योजना है। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए ''मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम'' (संशोधित योजना का नाम–प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) को जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखण्ड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। इस योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजनान्तर्गत कुल 1002 कार्य स्वीकृत है, जिसमें 732 कार्य पूर्ण, 16 कार्य प्रगतिरत एवं 176 कार्य अप्रारंभ है। केन्द्रांश राशि रू. 2784.09 लाख एवं राज्यांश रू. 1494.91 लाख, इस प्रकार कुल रू. 4279.00 लाख जिला जशपुर को योजना के क्रियान्वयन हेतु पुनराबंटित की गई है।

आदर्श छात्रावास भवन के रूप में उन्नयन

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 में बस्तर संभाग, रायपुर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर एवं दुर्ग संभाग की अनेक संस्थाओं का आदर्श छात्रावास के रूप में उन्नयन किया गया, ताकि बच्चों को एक बेहतर वातावरण में शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। वित्तीय वर्ष 2020—21 में बस्तर संभाग के 07 जिलों के प्रत्येक जिले में 10 छात्रावास/आश्रम तथा जिला गरियाबंद एवं धमतरी में 05—05 छात्रावास/आश्रम शालाओं के उन्नयन हेतु (कुल 80 संस्थाओं के लिए) राशि रू 25.00 लाख प्रति भवन के मान से बजट जारी कर संस्थाओं को आदर्श संस्था के रूप में विकसित किया गया है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021—22 में सरगुजा संभाग के 04 जिलों क्रमशः सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर एवं कोरिया में प्रत्येक जिले में 10 छात्रावास/आश्रम एवं जशपुर जिले में 12 छात्रावास/आश्रम, इस प्रकार कुल 52 संस्थाओं को तथा कोरबा जिले में 12 एवं GPM में 06, इस प्रकार कुल 70 संस्थाओं को आदर्श छात्रावास के रूप में उन्नयन किया जाना क्रियान्वित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2022—23 में जिला मुंगेली, बलौदाबाजार एवं बेमेतरा में 5—5, जिला दुर्ग, रायगढ़ एवं रायपुर के 10—10 तथा जिला बालोद, बिलासपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, कबीरधाम एवं राजनांदगावं की 8—8 संस्थाओं, इस प्रकार कुल 93 छात्रावास/आश्रम शाला भवनों को आदर्श संस्था के रूप में उन्नयन किया गया है। छात्रावास/आश्रम शाला भवनों के आदर्श रूप में उन्न्यन हेतु राशि रू. 2325.00 लाख की स्वीकृति विभाग द्वारा की गई है। कार्यो को पूर्ण करा लिया गया है। संस्थाओं को आदर्श संस्था के रूप में उन्नयन किए जाने की कार्यवाही आगामी वर्षो में भी निरंतर जारी रहेगी।

वित्तीय वर्ष 2023—24 में राज्य के समस्त जिलों में 1243 छात्रावास/आश्रमों में अनुरक्षण अंतर्गत 500 संस्थाओं में गोबर पेंट एवं रखरखाव का कार्य लिया गया, जिसमें राशि रू 11878.50 लाख का बजट प्रावधान किया गया। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 44 नवीन एकलव्य आदर्श विद्यालयों में छात्रों की आवासीय सुविधा हेतु 86 छात्रावास/आश्रमों में प्री.फेब्रिकेटेड शयन कक्ष एवं शौचालय निर्माण हेतु राशि रू 2765.76 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान में आहाता निर्माण :-

उद्देश्य :- योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान में आहाता निर्माण कार्य किया जाता है। इस हेतु सर्वप्रथम जिला स्तर से मय प्राक्कलन प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बजट प्रावधान :- योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 में राशि रू. 150.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

ooooo

भाग - छः

विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बालक आश्रम, जिला- कबीरधाम (छ.ग.)

सारांश

छत्तीसगढ़ संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित राज्य है। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत से अधिक भू–भाग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या का लगभग 57 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ–साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ट संस्थाओं के रूप में क्रीड़ा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र–छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कॅरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर तथा कोरबा, जशपुर जिलों में भी 'प्रयास' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है। विभागीय शिक्षण संस्थाओं तथा छात्रावास/आश्रमों में शिक्षा के क्षेत्र में सूचना तकनीक आधारित शिक्षण/स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विद्यार्थी वर्तमान शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों से भिज्ञ होकर एवं दक्षता प्राप्त कर प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। विभिन्न शैक्षणिक/आवासीय संस्थाओं को आधुनिक स्वरूप देने के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे

विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में बस्तर विकास प्राधिकरण एवं सरगुजा विकास प्राधिकरण के साथ–साथ नवगठित मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति उपयोजना तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों/ग्रामों का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूचित वर्गो की अस्मिता तथा सम्मान के प्रति विभाग प्रारंभ से ही सजग रहा है। इसी के फलस्वरूप सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आदिवासी संग्रहालय आकार ले रहा है तथा देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रदेश से अमर शहीद स्वत्रंता सेनानी वीर नारायण सिंह की पावन स्मृति में प्रदेश के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को दर्शाने हेतु स्मारक सह संग्रहालय की भी स्थापना का निर्णय लिया गया है। जिसका निर्माण अपने अंतिम चरण में है इस स्मारक सह संग्रहालय के शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है इसके प्रारंभ होने से प्रदेश के जनजातिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरगाथा तथा त्याग/बलिदान से आमजनता तथा भावी पीढ़ियां परिचित एवं प्रेरित हो सकेंगी। इसी प्रकार नया रायपुर में गुरू घासीदास संग्रहालय एवं शोधपीठ स्थापना की घोषणा भी की गई है। कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियों में भी विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यकलाप एवं योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शालाएं और छात्रावास/आश्रम बंद होने के कारण छात्र/छात्राओं को ऑनलाईन शिक्षण/कोंचिग के माध्यम से अध्यापन तैयारी कराई गई है। इसके फलस्वरूप विभाग की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम तथा विभिन्न प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम उत्कृष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं। यह शैक्षिण संस्थान निरंतर सफलता के कीर्तिमान बना रहीं हैं।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर–तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। इन समुदायों को समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु समावेशी विकास की इस यात्रा में विभाग हितप्रहरी के रूप में चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर है।

कलम कमम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए।
Govt. Pre M. ST Boys Hostel Khaira
CHART

VISIT US

https://x.com/TribalCgGov?s=08

https://www.facebook.com/share/15JsAVzB2r/

https://youtube.com/@cgtribalgov?si=GeHFLViscvVYzb9u

https://www.instagram.com/cg.tribalgov/profilecard/?igsh=eG1yaTFyamRjaG5p